धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-जनवरी,फरवरी,मार्च,2022

स्थापना आदेश,परिपत्र,निविदा फॉर्म आदि

कुल - 48 [स्थापना आदेश-38, शुद्धी पत्र-1, परिपत्र- 9]

स्थापना आदेश-सं.1 से38 तक (और 1 शुद्धिपत्र)कुल सं.- 39

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई
1	आदेश सं-01/2022	04.01.2022	अनुवाद किया गया
2	आदेश सं-02/2022	07.01.2022	अनुवाद किया गया
3	आदेश सं- 03/2022	10.01.2022	अनुवाद किया गया
4	आदेश सं- 04/2022	10.01.2022	अनुवाद किया गया
5	आदेश सं- 05/2022	10.01.2022	अनुवाद किया गया
6	आदेश सं- 06/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
7	आदेश सं- 07/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
8	आदेश सं- 08/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
9	आदेश सं- 09/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
10	आदेश सं- 10/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
11	आदेश सं- 11/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
12	आदेश सं- 12/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
13	आदेश सं- 13/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
14	आदेश सं- 14/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
15	आदेश सं- 15/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
16	आदेश सं- 16/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
17	आदेश सं- 17/2022	11.01.2022	अनुवाद किया गया
18	आदेश सं- 18/2022	13.01.2022	अनुवाद किया गया
19	आदेश सं- 19/2022	13.01.2022	अनुवाद किया गया
20	आदेश सं- 20/2022	18.01.2022	अनुवाद किया गया
21	आदेश सं- 21/2022	19.01.2022	अनुवाद किया गया
22	आदेश सं- 22/2022	02.02.2022	अनुवाद किया गया
23	आदेश सं- 23/2022	10.02.2022	अनुवाद किया गया
24	आदेश सं- 24/2022	03.02.2022	अनुवाद किया गया
25	आदेश सं- 25/2022	11.02.2022	अनुवाद किया गया
26	आदेश सं- 26/2022	17.02.2022	अनुवाद किया गया
27	आदेश सं- 27/2022	28.02.2022	अनुवाद किया गया
28	आदेश सं- 28/2022	25.02.2022	अनुवाद किया गया
29	आदेश सं- 29/2022	04.03.2022	अनुवाद किया गया
30	आदेश सं- 30/2022	15.03.2022	अनुवाद किया गया
31	आदेश सं- 31/2022	15.03.2022	अनुवाद किया गया
32	आदेश सं- 32/2022	21.03.2022	अनुवाद किया गया
33	आदेश सं- 33/2022	21.03.2022	अनुवाद किया गया
34	आदेश सं- 34/2022	22.03.2022	अनुवाद किया गया
35	आदेश सं- 35/2022	25.03.2022	अनुवाद किया गया
36	आदेश सं- 36/2022	28.03.2022	अनुवाद किया गया
37	आदेश सं- 37/2022	30.03.2022	अनुवाद किया गया
38	आदेश सं- 38/2022	30.03.2022	अनुवाद किया गया
39	(45/2021) का शुद्धिपत्र	07.03.2022	अनुवाद किया गया

स्थापना परिपत्र -

क्रम सं	स्थापना परिपत्र सं.	दिनांक	कार्रवाई
1	परिपत्र सं.1/2022	21.01.2022	अनुवाद किया गया
2	परिपत्र सं.2/2022	01.02.2022	अनुवाद किया गया
3	परिपत्र सं.3/2022	15.02.2022	अनुवाद किया गया
4	परिपत्र सं.4/2022	15.02.2022	अनुवाद किया गया
5	परिपत्र सं.5/2022	17.02.2022	अनुवाद किया गया
6	परिपत्र सं.6/2022	17.02.2022	अनुवाद किया गया
7	परिपत्र सं.7/2022	17.02.2022	अनुवाद किया गया
8	परिपत्र सं.8/2022	22.03.2022	अनुवाद किया गया
9	जन संपर्क अधिकारी परिपत्र	11.01.2022	अनुवाद किया गया

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

फाइल सं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT दिनांक: 07.03.2022

आदेश सं.: 45/2021 का शुद्धिपत्र

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के कैडर में पदोन्नति-संबन्धित।

आदेश सं.45 /2021 दिनांक 28.06.2021 का आंशिक संशोधन में निम्नलिखित अधिकारी के सामने सूचित कॉलम "जन्म तिथि" की प्रविष्टि को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जा सकता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1	वैशाख डी	23.11.1983

पी सेंतिल कुमार

[पी सेंतिल कुमार]
संयुक्त
आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
3. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
5. अपर महानिदेशक, डीआरआई, कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड /सी सी पी / लेखा परीक्षा,कोच्चि
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड /सी सी पी / लेखा परीक्षा,कोच्चि
8. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

1 NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt दिनांक:30.03.2022

स्थपाना आदेश सं. : 38/2022

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री नोएल जियो बिनोय** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **30.03.2022 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री नोएल जियो बिनोय** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री नोएल जियो बिनोय** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

पी.सेंतिल कुमार

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

सेवा में,

श्री नोएल जियो बिनोय,
पुलिक्कल हाउस, वेरूर डाक,
वाडक्केक्करा, चंगनाशेरी, कोट्टयम -686104

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT दिनांक: 30.03.2022

आदेश सं.: 37/2022

विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / - सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	8445	श्रीजित वी.	01.08.1982	तदर्थ आधार पर
2	68	कुमारी गीता वी.	01.05.1967	तदर्थ आधार पर
3	8502	स्टॅलिन जे	25.05.1966	तदर्थ आधार पर (कार्यवाहक क्षमता में)

2. पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 01.04.2022 को ही या उसके बाद ही और दिनांक 08.04.2022 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए। अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे |

3. क्रमांक 3 में उल्लिखित अधिकारी को कार्यवाहक क्षमता में अधीक्षक के पद पर तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक कि उसके कनिष्ठ को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता है, जिसके बाद उस नए पदोन्नत अधिकारी को स्थानापन्न क्षमता में माना जाएगा।

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 13.04.2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड/ ले.प./सीसीपी
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),मु. कोच्चि
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),मु. सीसीपी
9. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड/ ले.प./सीसीपी
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(39)/15/2022-ESTT. दिनांक: 28.03.2022

आदेश सं.: 36/2022

विषय : श्रीमती अंजली सुदर्शन, निरीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार श्रीमती अंजली सुदर्शन, निरीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय को सरकारी कर्मचारियों पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की सभी प्रासंगिक शर्तों पर दिनांक **31.03.2022(अपराह्न)** से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से उसके दिनांक 31.12.2021 के प्रस्तुति पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति देने पर आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कृपा है ।

2. श्रीमती अंजली सुदर्शन, निरीक्षक, द्वारा देय सभी राशि, यदि कोई है, नियमानुसार उसके सेवानिवृत्ति लाभ से वसूल किया जाए ।

पी सेंतिल कुमार

(पी सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त(का व सत)

सेवा में
श्रीमती अंजली सुदर्शन,
निरीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय,
(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत :
1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2 आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड
3.सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ले.प., कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
प्रतिलिपि
1.सहायक आयुक्त, लेखा परीक्षा आयुक्तालय - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:25.03.2022

स्थपाना आदेश सं.: 35/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री जितेन माली** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **14.03.2022 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री जितेन माली** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री जितेन माली** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री जितेन माली,

गाँव -गोलमा गाँव, वार्ड सं.2, उदलगुरी जिला,

असम - 784509

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2020-Estt दिनांक: 22.03.2022

आदेश सं. 34/2022

विषय: ड्राइवर (विशेष ग्रेड) के केडर में पदोन्नति - संबन्धित ।

निम्नलिखित ड्राइवर (ग्रेड -1) को ड्राइवर (विशेष ग्रेड) के केडर में, वेतन मेट्रिक्स में स्तर -6 में (35,400-1,12,400 रुपये) और भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित उच्च पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम(श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	षिबु एम जॉय	5016	सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय,कोचिन

2. उपरोक्त अधिकारी दिनांक 01.04.2022 को या उसके बाद और दिनांक 11.04.2022 तक पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा इस आदेश को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए | उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

3. नियंत्रण अधिकारी / संबन्धित अधिकारी अधिकारी के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 18.04.2022 तक भेज देनी चाहिए ।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

प्रति :

सम्बंधित व्यक्ति(सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त का कार्यालय, कोचिन

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(गोप.सतर्क.मु.)/, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय. कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), सीसीपी मुख्यालय,कोचिन

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt

दिनांक:21.03.2022

स्थपाना आदेश सं. : 33/2022

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनुसूचित जनजाति श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री वत्सल मीना** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **21.03.2022 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री वत्सल मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री वत्सल मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

सेंतिल कुमार

(पी सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

सेवा में,

श्री वत्सल मीना,
सुपुत्र आर सी मीना,
बी -49 आनंद विहार,
रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा,
जयपुर, राजस्थान - 302017

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt

दिनांक:21.03.2022

स्थपाना आदेश सं. : 32/2022

विषय :- कर सहायक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.10.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III(B) दिनांक 15.09.2021 के अनुसार मंत्रालय द्वारा **अनुसूचित जनजाति श्रेणी** के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.जूली मीना** को ऐसे भत्ते के साथ जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर सहायक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के रूप में दिनांक **21.03.2022 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. **कु.जूली मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.जूली मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

पी सेंतिल कुमार

(पी सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त[का व सत.]

सेवा में,

कु.जूली मीना,
सुपुत्री केवल राम मीना,
10ए, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार,
झल्लाना डूंगरी, जयपुर,
राजस्थान - 302004

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/गोपनीय-सतर्कता/, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन,CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt **दिनांक:15.03.2022**

आदेश सं.:31/2022

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-5-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारी को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उसके नाम के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	पदनाम	स्क्रीनिंग समिति की तिथि	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड/ पे मैट्रिक्स स्तर	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)
1.	श्री ए.जी.सुरेश	अधीक्षक (सेवानिवृत्त)	09.09.2015	02.12.2015	पे बैंड-3 - 5400	तृतीय

2. उपर्युक्त अधिकारी को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थियों को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एम ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारियों के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारियों को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एम ए सी पी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध

नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यां५ अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एम ए सी पी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एम ए सी पी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एम ए सी पी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगाया DOP &T का.ज्ञा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एम ए सी पी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने ए सी पी योजना(अगस्त 1999) और एम ए सी पी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। इस तरह एक बार अमल में लाया गया विकल्प समझा जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने पत्र D.No.62460/US(D)/2010 दिनांक 27.07.2010 के द्वारा स्पष्ट किया है कि 4 साल को पूरा करने के बाद अधीक्षक (ग्रूप ख)अधिकारियों को प्रदान की गई गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को दिनांक 19.05.2009 के का.ज्ञा. के अनुबंध-1 की पैरा 8.1 के अनुसार उन्नयन के रूप में समझा/देखा जा सकता है तथा उसी को एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बराबर का समझा जाएगा ।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पी सेंतिल कुमार

(पी सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्ति

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि

3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2.वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन

3.सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल

4. अधीक्षक, गोपनीय /सतर्कता ,कोचिन मुख्यालय /प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) मु.कोच्चि

5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।

6. महासचिव, सभी ग्रूप ख व ग अधिकारी संघ कोच्चि

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन,CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt दिनांक:15.03.2022

आदेश सं.:30/2022

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वितीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-5-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारीयों को एम् ए सी पी योजना के तहत वितीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं. (1)	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती) (2)	जन्म तिथि (3)	वितीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वितीय उन्नयन) (4)	वितीय उन्नयन की नियत तिथि (5)	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड/ पे मैट्रिक्स स्तर (6)
1.	सुनिल वी टी,अधीक्षक	03.01.1968	तृतीय	01.09.2022	स्तर -10
2.	सुभाष पी एन, अधीक्षक	22.12.1972	तृतीय	01.09.2022	स्तर -10
3.	सेबास्टियन डी सिल्वा	12.11.1962	तृतीय	01.09.2022	स्तर -10
4.	मनोज कुमार वी.,अधीक्षक	05.04.1971	तृतीय	11.03.2022	स्तर -10
5.	एल.के.हरिकृष्णन,अधीक्षक (दि:16.09.2008 को निधन)	05.06.1952	तृतीय	01.09.2008	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन -6600/-
6.	अरुण आर., निरीक्षक	21.12.1985	प्रथम	27.10.2021	स्तर -8
7.	बालेश्वर कुमार झा, निरीक्षक	02.06.1979	प्रथम	28.09.2022	स्तर -8
8.	मंजु कृष्णदास, निरीक्षक	13.12.1986	प्रथम	03.09.2022	स्तर -8
9.	रवि कुमार, निरीक्षक	28.05.1988	प्रथम	03.09.2022	स्तर -8
10.	अमित खत्री,निरीक्षक	19.09.1986	प्रथम	05.09.2022	स्तर -8
11.	मनोज कुमार यादव, निरीक्षक	04.07.1982	प्रथम	28.11.2021	स्तर -8
12.	सुधीर दबस,निरीक्षक	26.05.1984	प्रथम	31.08.2022	स्तर -8
13.	विपिन यादव, निरीक्षक	02.10.1986	प्रथम	30.08.2022	स्तर -8
14.	किरण शर्मा,निरीक्षक	26.08.1981	प्रथम	03.09.2022	स्तर -8
15.	नवीन कुमार,निरीक्षक	04.10.1986	प्रथम	31.10.2021	स्तर -8

16.	अभिजीत सिंह,निरीक्षक	14.10.1987	प्रथम	24.09.2022	स्तर -8
17.	कपिल देव सुरीरा,निरीक्षक	16.04.1983	प्रथम	14.11.2021	स्तर -8
18.	अशोक कुमार,निरीक्षक	08.09.1980	प्रथम	15.12.2021	स्तर -8
19.	राजेश कुमार,निरीक्षक	31.12.1980	प्रथम	28.10.2021	स्तर -8
20.	जोस एन्टणी हेड हवलदार	15.04.1972	द्वितीय	01.10.2011	स्तर -3
			तृतीय	01.10.2021	स्तर- 4
21.	सैनुधीन सी एस, हेड हवलदार	30.09.1965	तृतीय	09.02.2021	स्तर -4
22	सुरेन्द्रन एस, हेड हवलदार	20.01.1964	तृतीय	17.02.2022	स्तर -4
23	वी जी साजन,हेड हवलदार	10.10.1969	तृतीय	15.02.2022	स्तर -4
24	जयप्रकाश एम.,हेड हवलदार	19.05.1968	तृतीय	06.07.2022	स्तर -4
25	पी दिलीपन,हेड हवलदार	10.05.1969	तृतीय	06.07.2022	स्तर -4
26	राधामणी वी.,हेड हवलदार	30.05.1963	तृतीय	26.03.2022	स्तर -4
27	टी वी रामचंद्रन,हेड हवलदार	24.08.1963	तृतीय	17.02.2022	स्तर -4

2. इन अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थियों को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एम ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारियों के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारियों को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एम ए सी पी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एम ए सी पी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एम ए सी पी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एम ए सी पी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगाया DOP &T

का.ज्ञा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एम ए सी पी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने ए सी पी योजना(अगस्त 1999) और एम ए सी पी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। इस तरह एक बार अमल में लाया गया विकल्प समझा जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने पत्र D.No.62460/US(D)/2010 दिनांक 27.07.2010 के द्वारा स्पष्ट किया है कि 4 साल को पूरा करने के बाद अधीक्षक (ग्रूप ख)अधिकारियों को प्रदान की गई गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को दिनांक 19.05.2009 के का.ज्ञा. के अनुबंध-1 की पैरा 8.1 के अनुसार उन्नयन के रूप में समझा/देखा जा सकता है तथा उसी को एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बराबर का समझा जाएगा ।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पी सेंतिल कुमार

(पी सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्तियां (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2.वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन

3.सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल

4. अधीक्षक, गोपनीय /सतर्कता ,कोचिन मुख्यालय /प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
6. महासचिव, सभी ग्रूप ख व ग अधिकारी संघ कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II(25)/38/2020-ESTT. दिनांक: 04.03.2022

आदेश सं.: 29/2022

विषय : श्री दिनेश बाबु पी., अधीक्षक के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार श्री दिनेश बाबु पी., अधीक्षक को सरकारी कर्मचारियों पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की सभी प्रासंगिक शर्तों पर दिनांक **31.03.2022(अपराह्न)** से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से उसके दिनांक 24.12.2021 के प्रस्तुति पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति देने पर आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कृपा है ।

2. श्री दिनेश बाबु पी., अधीक्षक, द्वारा देय सभी राशि, यदि कोई है, नियमानुसार उसके सेवानिवृत्ति लाभ से वसूल किया जाए ।

पी.सेंतिल कुमार

(पी.सेंतिल कुमार)
संयुक्त आयुक्त(का व सत)

सेवा में
श्री दिनेश बाबु पी.,
अधीक्षक, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
आलत्तूर रेंज,
(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2 आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड
3.सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ले.प., कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रतिलिपि

1.सहायक आयुक्त, पालक्काड मंडल - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोयिक्कोड आयुक्तालय
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), पालक्काड मंडल
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT

दिनांक: 25.02.2022

आदेश सं. : 28 / 2022

विषय: सहायक उप-निरीक्षक(शस्त्र) के केडर में पदोन्नति – संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हविलदार को भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित 7वें सीपीसी की सिफारिश के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह ग सहायक उप निरीक्षक(शस्त्र) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	के मुरलीधरन	9598	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड

2. अधिकारी को दिनांक **07.03.2022** तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 और 27.07.2017 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

3. अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारी /सम्बंधित अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 10.03.2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

पी.सेंतिल कुमार

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा,कोच्चि/ अपील,कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड
3. अधीक्षक (गोप.सत.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु
6. सचिव, केरल केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह ग अधिकारी संघ, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

फाइलसं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT दिनांक: 28.02.2022

आदेश सं.: 27/2022

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / - सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	9509	निषा जयराजन	08.03.1976	तदर्थ आधार पर
2	9579	अज़ीब चेन्नत	22.03.1980	तदर्थ आधार पर
3	4004	राजीव आर.सी.	23.04.1980	तदर्थ आधार पर
4	9055	सुधीर कुमार के	29.04.1972	तदर्थ आधार पर (कार्यवाहक क्षमता में)

2. पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि क्रम सं.1 में सूचित अधिकारी तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जा सकता है लेकिन क्रमांक 2 से 4 तक उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 01.03.2022 को ही या उसके बाद ही और दिनांक 07.03.2022 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए। अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे |

3. क्रमांक 4 में उल्लिखित अधिकारी को स्थानापन्न क्षमता में अधीक्षक के पद पर तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक कि उसके कनिष्ठ को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता है, जिसके बाद उस नए पदोन्नत अधिकारी को स्थानापन्न क्षमता में माना जाएगा।

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 14.03. 2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई, कोच्चि
7. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड/ ले.प.सीसीपी
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),मु. कोच्चि
9. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),मु. सीसीपी
10. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड/ ले.प.सीसीपी
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT. दिनांक:17.02.2022

आदेश सं.:26/2022

विषय : अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय अधीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इसके साथ दिया जाता है :

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	प्रिया के.एम.	8461	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि को स्था.के लिए आदेशित	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बादही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पेरुम्बावूर मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पेरुम्बावूर मंडल
5. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीयकरकेन्द्रीयउत्पादशुल्क, /कोच्चि
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।
7. महासचिव, एआईएएससीटी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

File.No.II(25)/38/2020-ESTT. दिनांक: 11.02.2022

आदेश सं.: 25/2022

विषय : श्री रेंजी विल्ल्यम पी., अधीक्षक के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार श्री रेंजी विल्ल्यम पी., अधीक्षक को सरकारी कर्मचारियों पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की सभी प्रासंगिक शर्तों पर दिनांक **28.02.2022(अपराह्न)** से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से उसके दिनांक 29.11 .2021 के प्रस्तुति पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति देने पर आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क की कृपा है ।

2. श्री रेंजी विल्ल्यम पी., अधीक्षक, द्वारा देय सभी राशि, यदि कोई है, नियमानुसार उसके सेवानिवृत्ति लाभ से वसूल किया जाए ।

(अन्वर अली टी पी)
अपर आयुक्त(का व सत)

सेवा में

श्री रेंजी विल्ल्यम पी.,
अधीक्षक, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
ओट्टप्पालम रेंज,
(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2 आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड
3.सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ले.प., कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रतिलिपि

1.सहायक आयुक्त, पालक्काड मंडल - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोयिक्कोड आयुक्तालय
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), पालक्काड मंडल
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-Estt दिनांक:03.02.2022

आदेश सं.: 24/2022

विषय : अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में अधीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	रीना एम	9505	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
2.	प्रिया के एम	8461	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय,कोच्चि

2. अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती मुख्य आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि परियोजना साधित के तहत चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके|

3. उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थानों में दिनांक **11.02.2022** तक कार्यग्रहण करने चाहिए |

4. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बादही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

5. अपनीतैनाती के नए स्थान परकार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा।

6. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **15.02.2022**तक मिलनी चाहिए |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. सहायक आयुक्त,पेरुम्बावूर मंडल, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि
5. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीयकरकेन्द्रीयउत्पादशुल्क, कोच्चि/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/1/2022-ESTT

दिनांक: 10.02.2022

आदेश सं.: 23/2022

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेड हवलदार के कैडर में स्थानांतरण और तैनातियां - संबन्धित ।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवलदार के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान आयुक्तालय	..को तैनात
1	साबु पी बी	3173	एर्णाकुलम रेंज -4, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	मु. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2	जॉय पी वी	8365	आलुवा रेंज, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	मु. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
3	ई आर रेतिमोल	1180	तोडुपुया रेंज, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	मु. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
4	वी पी साजन	5009	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन	मु. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
5	विन्सन वी पी	386	इरिन्जालक्कुडा रेंज, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि	मु. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
6	साबु एम जे	3401	चालक्कुडी मंडल, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	आलुवा मंडल, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि ल्क, कोच्चि

2 उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यमुक्ति देनी चाहिए अपने और वे अपने नए तैनात स्थान पर दिनांक 25.02.2022 तक कार्यग्रहण करना चाहिए ।

3. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 28.02.2022 तक मिलनी चाहिए ।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[एस.सुरेश]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्तियाँ [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
4. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
5. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
6. सीमाशुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
7. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के मंडलों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीमाशुल्क निवारक,कोचिन
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीमाशुल्क निवारक,कोचिन
4. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीमाशुल्क निवारक,कोचिन
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

फाइलसं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT दिनांक: 02.02.2022

आदेश सं.: 22/2022

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / - सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	9505	रीना एम	15.03.1972	तदर्थ आधार पर
2	8461	प्रिया के एम	17.03.1979	तदर्थ आधार पर (कार्यवाहक क्षमता में)

2. क्रमांक 2 में उल्लिखित अधिकारी को स्थानापन्न क्षमता में अधीक्षक के पद पर तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक कि उसके कनिष्ठ को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता है, जिसके बाद उस नए पदोन्नत अधिकारी को स्थानापन्न क्षमता में माना जाएगा।

3. पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि उपर्युक्त अधिकारी तत्काल तथा कम से कम दिनांक **10.02.2022** तक उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए | अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे|

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **15.02.2022** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ ले.प.,कोच्चि
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), कोच्चि/ ले.प.,कोच्चि
8. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), कोच्चि/ ले.प.,
9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
10. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन,CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

सी.सं.II/(3)/19/2021-Estt दिनांक:19.01.2022

आदेश सं.: 21/2021

विषय:अधिकारीयों की अस्थायी तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

मुख्य आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए परियोजना साधित के तहत चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के निम्नलिखित स्थानान्तरण एवं तैनाती का आदेश दिया जाता है।तैनाती अस्थायी हैं और 31.03.2022 तक प्रभावी रहेंगी।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/ श्रीमती) व पदनाम	कर्मचारी कोड	..से	..को
1	जयश्री पी.	8482	तकनीकी अनुभाग,मु.कोच्चि	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि
2	एम.एस.देशानंदन	1014	समीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि (संयुक्त आयुक्त की सहायता के लिए)
3	स्वप्ना वी एम	8006	कर बकाया वसूली अनुभाग,मु.कोच्चि को स्थानांतरण के लिए आदेशित	कर बकाया वसूली अनुभाग,मु.कोच्चि(तकनीकी अनुभाग,मु.कोच्चि का अतिरिक्त प्रभार के साथ)

3 उपरोक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थान पर दिनांक 24.01.2022 तक कार्यभार ग्रहण करना चाहिए |

4 नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियाँ (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. मु.,कोच्चि में तकनीकी /समीक्षा/ न्यायनिर्णयन, बकाया अनुभागों के प्रभारी सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि |
3. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), मु.कोच्चि |
4. अधीक्षक(गोप./सत.),कोच्चि |
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt दिनांक : 18.01.2022

आदेश सं.: 20/2022

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश सं. 73/2021 दिनांक 30.09.2021 और अनुवर्ती शुद्धिपत्र दिनांक 01.10.2021 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच में कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश इस के साथ दिया जाता है ।

2. श्री पी. सेंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त को सत्यापन कक्ष का कार्यभार सौंपा गया है, जिसका गठन मुख्य आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि परियोजना साधित के तहत चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके | श्री एस. वीरमुत्तु, संयुक्त आयुक्त को डीजीएआरएम का प्रभार सौंपा गया है। श्री जे. हरीश, संयुक्त आयुक्त को न्यायनिर्णयन और मंडल के सभी लिगेसी कार्यों के साथ पेरुम्बवूर मंडल का पर्यवेक्षण और श्री पी. सेंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त को न्यायनिर्णयन और मंडल के सभी लिगेसी कार्यों के साथ पेरुम्बवूर मंडल का पर्यवेक्षण सौंपे गए हैं।

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर/संयुक्त आयुक्त के बीच संशोधित कार्य आवंटन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम व पदनाम सर्वश्री	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	मुख्यालय निवारक, मुकदमा, जन संपर्क, खेल, जीएसटी कक्ष, आधारिक संरचना कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, इडुक्की केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, इस मंडल के न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	पी सेंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त

2	एस वीरमुत्तु, संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा, बकाया वसूली, प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), डीजीएआरएम, समीक्षा, जीएसटी सेवा केंद्र, न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, जी एस टी सेवा केंद्र, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	पी सैंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त
3	पी सैंतिल कुमार, संयुक्त आयुक्त	स्थापना, प्रशासन, कार्मिक, सेवोतम,भविष्य निधि, सतर्कता, गोपनीय, राजभाषा, सिस्टम्स, सिस्टम्स प्रबंधक, लेखा, सी पी ग्रामस,सत्यापन कक्ष, त्रिश्शूर,चालक्कुडी एवं काक्कनाड केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त
4	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	विधिक, केंद्रीय अपील अधिकरण,तकनीकी, सांख्यिकी, संसद प्रश्न, आरऍफ़डी, न्यायनिर्णयन कक्ष, आलुवा,पेरुम्बावूर एवं एर्णाकुलम केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लेजेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य	एस वीरमुत्तु, संयुक्त आयुक्त	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT. दिनांक: 13.01.2022

आदेश सं.: 19/2022

विषय : निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित ।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय निरीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश इसके साथ दिया जाता है :

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	बाल मुकुंद	9431	कार्यग्रहण करने पर(सीसीपी से स्थानांतरण के लिए आदेशित)	अपवंचनरोधी, मु.कोच्चि
2.	यूड्रिक पेरेरा	8001	कार्यग्रहण करने पर(सीसीओ-सीसीए से स्थानांतरण के लिए आदेशित)	एलूर रेंज
3.	भास्करनाथ	8465	आतंरिक लेखा परीक्षा,मु.कोच्चि	न्यायनिर्णयन,मु.कोच्चि
4.	अखिल एस नायर		एर्णाकुलम रेंज 2	अपवंचनरोधी, मु.कोच्चि
5.	आदर्श के दास		विधिक अनुभाग,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार के साथ सूचना अधिकार/प्रशिक्षण	अपवंचनरोधी, मु.कोच्चि
6.	मिधुन ए		कियक्कम्बलम रेंज	सिस्टम्स अनुभाग,मु.कोच्चि
7.	श्रीजित वी	8445	अपवंचनरोधी, मु.कोच्चि	एर्णाकुलम रेंज 2
8.	नेहा मीना	9860	एर्णाकुलम रेंज 5	सत्यापन कक्ष,मु.कोच्चि
9.	जज़ील एम सी		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	सूचना अधिकार/प्रशिक्षण अनुभाग, मु. कोच्चि
10.	रानी मारिया जॉन		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	विधिक अनुभाग,मु.कोच्चि
11.	आशिन एम		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	एर्णाकुलम रेंज 5
12.	संजय प्रदीप		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	आतंरिक लेखा परीक्षा,मु.कोच्चि
13.	श्रीदीप मेनोन वी पी		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	एर्णाकुलम रेंज 6
14.	किरण एस		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	तकनीकी अनुभाग,मु.कोच्चि
15.	अतुल एम दास		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	अय्यनतोल रेंज
16.	अभिजीत एस		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	कियक्कम्बलम रेंज
17.	मोहित		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	काक्कनाड मंडल

18.	नवीन के		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	काक्कनाड रेंज 2
19.	प्रियंका मीना		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	पेट्रोलियम उत्पाद रेंज
20.	सजित मोहन		सीजीएलई 2018- नई भर्ती	समीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि

2. अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती मुख्य आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि परियोजना साधित के तहत चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.

3. उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थानों में दिनांक **20.01.2022** तक कार्यग्रहण करने चाहिए |

4. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

5. अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा |

6. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **21.01.2022** तक मिलनी चाहिए |

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
6. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
7. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021- ESTT. दिनांक: 13.01.2022

आदेश सं.: 18/2022

विषय : अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित ।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय अधीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश इसके साथ दिया जाता है :

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	नंदकुमार एस.	3211	सीमा शुल्क निवारक, कोचिन से स्थानांतरण के लिए आदेशित	काक्कनाड मंडल
2.	स्वप्ना वी.एम.	8006	सीमा शुल्क निवारक, कोचिन से स्थानांतरण के लिए आदेशित	कर बकाया वसूली अनुभाग,मु.कोच्चि
3.	सेंतिलकुमार एम.	3452	पदोन्नति पर (कोच्चि आयुक्तालय को स्थानांतरण के लिए आदेशित)	एर्णाकुलम रेंज 6
4.	जिन्सी एम.पी.	4568	पदोन्नति पर (कोच्चि आयुक्तालय को स्थानांतरण के लिए आदेशित)	एर्णाकुलम रेंज 4
5.	विनया सी.आर.	9501	पदोन्नति पर (कोच्चि आयुक्तालय को स्थानांतरण के लिए आदेशित)	आलुवा मंडल
6.	मेघा आर.	4038	पदोन्नति पर (कोच्चि आयुक्तालय को स्थानांतरण के लिए आदेशित	एर्णाकुलम मंडल
7.	सेबास्टियन डी सिल्वा	4459	कर बकाया वसूली अनुभाग,मु.कोच्चि	न्यायनिर्णयन अनुभाग, मु.कोच्चि
8.	रंजित मैथ्यू	4454	अंगमाली रेंज	चालक्कुडी मंडल
9.	राजा टोमी	966	आलुवा मंडल	अंगमाली रेंज
10.	प्रबोध एस.	4037	एर्णाकुलम रेंज 4	सत्यापन कक्ष,मु.कोच्चि

2. अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती मुख्य आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि परियोजना साधित के तहत चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.

3. उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थानों में दिनांक **20.01.2022** तक कार्यग्रहण करने चाहिए ।

4. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

5. अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।

6. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **21.01.2022** तक मिलनी चाहिए |

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
6. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
7. मुख्यालय के अनुभागों के प्रभारी केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त
8. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/सीसीपी
9. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/सीसीपी
10. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/सीसीपी
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. महासचिव, एआईएएससीटी, केरल इकाई

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. दिनांक:11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 17/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री वुल्लूरी संतोष कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **31.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री वुल्लूरी संतोष कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री वुल्लूरी संतोष कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री वुल्लूरी संतोष कुमार,डीए-174बर्मा कैंप, कोतागुडेम,
भाद्राद्री कोतागुडेम,
तेलेन्गाना - 507101

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. दिनांक:11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 16/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री विष्णु अशोकन** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **29.12.2021 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री विष्णु अशोकन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री विष्णु अशोकन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री विष्णु अशोकन,
विष्णु विहार, इरिनचयम डाक, नेडुमन्गाड, तिरुवनंतपुरम,
केरल - 695561

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 15/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जनजाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री हरि सिंह मीना** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **29.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 , **श्री हरि सिंह मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में , **श्री हरि सिंह मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री हरि सिंह मीना,
गोरधनपुरा गाव, बरोदा डाक, सपोत्रा तहसील, करौली,
राजस्थान - 322203

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 14/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जनजाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कुम. प्रियंका मीना** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **21.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **कुम.प्रियंका मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कुम. प्रियंका मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

कुम. प्रियंका मीना,
13 तिलक नगर,खंडिया नाका खानपुर रोड, झलावार,
राजस्थान - 326001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 13/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जनजाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री भुवनेश कुमार मीना** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **16.12.2021 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री भुवनेश कुमार मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री भुवनेश कुमार मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री भुवनेश कुमार मीना,
सी -126,मॉडल टाउन, मालव्या नगर, जयपुर,
राजस्थान - 302017

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक:11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 12/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जनजाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री नरेन्द्र सिंह मीना** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **16.12.2021 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री नरेन्द्र सिंह मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री नरेन्द्र सिंह मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री नरेन्द्र सिंह मीना,

19 गुलाब नगर, आगरा रोड, राजेश मोटर्स के पास, जयपुर,

राजस्थान - 302031

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक :11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 11/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री नवीन के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **15.12.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री नवीन के** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री नवीन के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री नवीन के,

247-बी, फातिमा नगर, वोरैयुर,तिरुचिराप्पल्ली ,

तमिल नाडु - 620003

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, कैंद्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,कैंद्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) कैंद्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं कैंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक :11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 10/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री देवेन्द्र कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **09.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री देवेन्द्र कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री देवेन्द्र कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री देवेन्द्र कुमार,
इंद्रा कॉलोनी,मंदर,
सिरोही जिला, राजस्थान - 307513

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. दिनांक:11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 09/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री प्रजीत** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **06.12.2021 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री प्रजीत** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री प्रजीत** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री प्रजीत,

कोच्चुमुरियिल हाउस, कवियूर,तिरुवल्ला, पत्तनमतिट्टा,

केरल - 689582

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक :11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 08/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री वेमु नवीन निश्चल** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **06.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री वेमु नवीन निश्चल** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री वेमु नवीन निश्चल** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री वेमु नवीन निश्चल,
घर सं. 7/120, सरोजिनी गली, वाईएसआर स्टेचू के पास, मनुबोलु,
के आर पुरम, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश - 524405

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT दिनांक :11.01.2022

स्थपाना आदेश सं.: 07/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2018' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री जी दीपचंद** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **06.12.2021 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री जी दीपचंद** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री जी दीपचंद** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री जी दीपचंद ,

19-12-328,बैरागीपट्टेडा,तिरुपति,चिट्टूर जिला,

आंध्र प्रदेश - 517501

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2020-ESTT दिनांक .01.2022

आदेश सं.: 06/2022

विषय : हेड हवलदार के कैडर में स्थानांतरण और तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

आदेश सं.59 /2021 दिंनाक 30.07.2021 के आशिक संशोधन में केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हेड हवलदार के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान आयुक्तालय	..को तैनात
1	वाल्सन एम के	8331	एसीसी,(यूबी), ट्रिवेनड्रम, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि को स्थानांतरण के लिए आदेशित	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि में ही रखा गया

2 यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[एस.सुरेश]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्ति [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमाशुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि
5. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के मंडलों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त

2. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. सीमा शुल्क उप /सहायक आयुक्त, एसीसी(यूबी), ट्रिवेनड्रम
4. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
7. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-Estt दिनांक: 10.01.2022

आदेश सं.: 05 / 2022

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित ।

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) ने केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	बाल मुकुंद	9431	(विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	श्री बाबु	4115	(विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
3.	सुमन गोदरा	3715	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
4.	रहीस एन	2815	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
5.	अशोक कुमार एन	3180	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
6.	राजु के.वी.	9062	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड

				अनुभाग)
7.	मनीष कुमार खाताना	4019	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
8.	मनोज कुमार यादव	6019	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
9.	कमल कुमार	1778	एसीसी(यूबी), तिरुवनंतपुरम सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
10.	कविता एल	3	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
11.	शुभा एस कुमार	456	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
12.	अरुण आर.	9006	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
13.	सिबी ए जॉर्ज	12	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
14.	अरुणकुमार ए विजयन	8463	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
15.	किल्ली संदीप	4011	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
16.	जयदीप सी	8888	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
17.	जिनेश के	8233	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
18.	राजीव वेल्लुवाकंडी	6703	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
19.	निवेदिता जिनदेव	2616	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद	(विमान पत्तन, कण्णूर)

			शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
20.	अश्विना नायर	9592	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
21.	गौतम कुमार	1775	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	एसीसी(यूबी), तिरुवनंतपुरम सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
22.	परसेन कुमार	9875	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय, कोच्चि
23.	यूड्रिक पेरेरा	8001	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
24.	जितिन जोस		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	सीसीओ-सीसीए
25.	पुनीत चौधरी		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
26.	सुजिन के		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
27.	देवेन्द्र कुमार		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
28.	वेमु नवीन निश्चल		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
29.	पीयूष चौहान		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
30.	जज़ील एम सी		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
31.	रानी मरिया जॉन		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
32.	आशिन एम		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
33.	संजय प्रदीप		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

34.	श्रीदीप मेनोन वी पी		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
35.	किरण एस		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
36.	अतुल एम दास		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
37.	अभिजीत एस		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
38.	मोहित		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
39.	नवीन के		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
40.	प्रियंका मीना		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
41.	सजित मोहन		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
42.	मैथ्यूस जॉर्ज सी		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
43.	राहुल शंकर		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
44.	शालमोन एब्रहाम		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
45.	प्रजीत		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
46.	जी दीपचंद		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
47.	वुल्लूरी संतोष कुमार		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
48.	अशोक कुमार मीना		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
49.	भुवनेश कुमार मीना		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
50.	नरेन्द्र सिंह मीना		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,

				कोयिक्कोड
51.	प्रशांत कुमार जी		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
52.	विष्णु अशोकन		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
53.	विशाख एस		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
54.	बिश्वजीत दास		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
55.	हरी सिंह मीना		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
56.	हरिकृष्णन		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
57.	अथ्याला मनोज कुमार		सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

2. क्रम सं.2 में सूचित अधिकारी को विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम से दिनांक 19.02.2022 को कार्यमुक्त करना है क्रम सं.10 में सूचित अधिकारी को क्रम सं.2 के बदले में विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम में दिनांक 19.02.2022 को कार्यग्रहण करना है |

3. विमान पत्तन में तैनात अधिकारी दो वर्षों (2) की अवधि के लिए और एसीसी (यूबी) में तैनात अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशासनिक मजबूरियों की आवश्यकता होती है तो पहले उसे स्थानांतरित करने का विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तैनात हैं |

4. उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक **20.01.2022** तक अपने नए तैनात स्थान पर कार्यग्रहण करना चाहिए |

5. लेखापरीक्षा में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों को कार्यमुक्त करने से पहले अधिकारी सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

6. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

7. अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा |

8. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

7. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **21.01.2022** तक मिलनी चाहिए |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई/ नासिन, कोच्चि
7. कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक / लेखा परीक्षा ,कोच्चि के उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt दिनांक : 10.01.2022

आदेश सं.: 4/2022

विषय: केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 98/2021 दिनांक 18.11.2021 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तन का आदेश दिया जाता है:

2. श्री हारिसण एंटणी, सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि उन प्रभारों को संभालेंगे जो श्रीमती बीना आर., सहायक आयुक्त द्वारा संभाले गए थे। इसके अलावा केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के मुख्य आयुक्त द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 30/2021 (DGHRD/एक-दक/364/2021)दिनांक 15.12.2021 के अनुसार, श्री दीपक कुमार, सहायक आयुक्त को केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क त्रिश्शूर मंडल का प्रभार आवंटित किया गया है।

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	एस.सुरेश	प्रशासन,का.व सत.,सेवोत्तम,निवारक, मु.मुकदमा एवं राजभाषा कार्यान्वयन	सी.टी. बिंदु	शांती वी.
2	शांती वी.	तकनीकी, संसद प्रश्न, जी एसटी कक्ष, डीजीएआरएम, आरऍफ़डी, सांख्यिकी एवं सिस्टम्स	हारिसण एंटणी	सी.टी. बिंदु
3	हारिसण एंटणी	विधिक, सूचना अधिकार(सीपीआईओ),	एस.सुरेश	डॉली जोसफ

		प्रशिक्षण एवं सत्यापन कक्ष*		
4	सी.टी. बिंदु	न्यायनिर्णयन, समीक्षा, बकाया वसूली एवं एसवीएलडीआरएस	डॉली जोसफ	हारिसण एंटणी
5	डॉली जोसफ	मुख्य लेखा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार के साथ लेखा परीक्षा	हारिसण एंटणी	एस. सुरेश
6	अनिल राज आर	एर्णाकुलम मंडल	महेंदिरा वर्मा आर ए	अजिता पी
7	महेंदिरा वर्मा आर ए	काक्कनाड़ मंडल	अनिल राज आर	अजिता पी
8	अजिता पी	आलुवा मंडल	महेंदिरा वर्मा आर ए	अनिल राज आर
9	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	दीपक कुमार	रॉय वर्गीस
10	दीपक कुमार	त्रिश्शूर मंडल	माया कुरियन	एन.एस. जयश्री
11	एन. एस. जयश्री	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	अजिता पी.
12	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल	एन. एस. जयश्री	महेंदिरा वर्मा आर ए

- मु.आ.का./बीआईऍफ़ए/एडीवीएआईटी कक्ष से प्राप्त रिपोर्ट

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-Estt

दिनांक: 10.01.2022

आदेश सं.: 03/2022

विषय : अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र (संवर्ग नियंत्रण अधिकारी) ने केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	बिंदु के.कट्टयमकोट्ट	484	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
2.	श्रीविद्या सुधीर	6009	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
3.	हरिदासन पी के	774	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
4.	षोली पी आई	216	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय	(करिपूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5.	प्रवीण पी वी	7510	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय	(करिपूर यूबी)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
6.	पी मुनियप्पन	6624	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय	(करिपूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
7.	वीणा धर्मराज	9541	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय	(करिपूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
8.	मुरली पी	9502	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
9.	गोपीप्रशांत जे एस	4009	(ट्रिवेनड्रम हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि (डॉ टी टिजु,आयुक्त की सहायता हेतु)
10.	सुधीर के	773	(करिपूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			निवारक आयुक्त, कोचिन	शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय
11.	प्रेम प्रकाश मीना	2515	(करिपूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
12.	प्रणय कुमार	3416	(करिपूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
13.	कैलाश चंद दायमा	4011	(करिपूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
14.	प्रवीण एम	7510	करिपूर यूबी)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
15.	माधवन सी वी	8008	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
16.	सुकुमारन के	6001	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
17.	नंदकुमार एस	3211	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
18.	पी सी चाको	918	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
19.	ज्योतिलक्ष्मी पी	9590	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
20.	मीरा पी	485	सीसीओ-सीसीए(सीपीसी)	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
21.	मिनी एस	19	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि	सीसीओ-सीसीए(सीपीसी)
22.	स्वप्ना वी एम	8006	सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
23.	टेस्सी मैथ्यूस	8201	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि को स्था.हेतु आदेशित	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि (डॉ टी टिजु,आयुक्त की सहायता हेतु)
24.	सेंतिलकुमार एम	3452	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
25.	जिन्सी एम पी	4568	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
26.	विनया सी आर	9501	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
27.	मेघा आर	4038	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
28.	दीपेश जी	4003	पदोन्नति पर	(ट्रिवेनड्रम हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन। 2 वर्ष का कुल कार्यकाल पूरा होने तक प्रतिधारण
29.	प्रकाशन के	9459	पदोन्नति पर	(कण्णूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन । 2 वर्ष का कुल कार्यकाल पूरा होने तक प्रतिधारण
30.	जैक्सन जोसफ	3453	पदोन्नति पर	(करिपूर हवाई अड्डा)सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन

2. हवाई अड्डे में तैनात अधिकारी प्रशासनिक मजबूरियों की आवश्यकता होती है तो पहले उसे स्थानांतरित करने का विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दो वर्षों (2) की अवधि के लिए तैनात हैं । ए यूबी में तैनात अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए तैनात हैं |

3. उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थानों में दिनांक **20.01.2022** तक कार्यग्रहण करने चाहिए |

4. लेखापरीक्षा में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों को कार्यमुक्त करने से पहले अधिकारी सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

5. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

6. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में अब तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को निपटाया गया है।

7. अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।

8. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

9. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **21.01.2022** तक मिलनी चाहिए |

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
6. अपर महानिदेशक,डीजीजीआई/डीआरआई/नासिन कोच्चि
7. तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मंडल कार्यालयों/सीपीडी/लेखा परीक्षा सर्किल/ के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
8. सीमा शुल्क उप /सहायक आयुक्त, ट्रिवेनड्रम/ करिपूर/ कण्णूर हवाई अड्डा/एसीसी (यूबी), ट्रिवेनड्रम/ करिपूर
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/सीसीपी
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/सीसीपी
11. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/सीसीपी
12. अधीक्षक (ई डी पी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
13. महासचिव, एआईएएससीटी, केरल इकाई

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/35/2021-Estt. दिनांक:07.01.2022

आदेश सं.:02/2022

विषय : कार्यकारी सहायक /कर सहायक के कैडरों में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित ।

कार्यकारी सहायक /कर सहायक के कैडरों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश इसके साथ तत्काल प्रभाव से दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	निखिल सी.बाबु कर सहायक	29.01.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय को स्था.हेतु आदेशित	आलुवा मंडल
2.	वैशाख विश्वनाथ कर सहायक	16.11.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय को स्था.हेतु आदेशित	इडुक्की मंडल
3.	डेन्नी जॉर्ज कर सहायक	16.03.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय को स्था.हेतु आदेशित	स्थापना अनुभाग, मु.कोच्चि
4.	सुस्मिता जॉन कर सहायक	09.02.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय को स्था.हेतु आदेशित	इडुक्की मंडल
5.	जीजोमोन पी.जे. कर सहायक	23.11.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय को स्था.हेतु आदेशित	चालक्कुडी मंडल

6.	पतायतिल सतीश कुमार कर सहायक	23.04.1977	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय को स्था.हेतु आदेशित	चालक्कुडी मंडल
7.	एल्दो जेम्स कर सहायक	13.01.1993	इडुक्की मंडल	पेरुम्बावूर मंडल
8.	प्रॉशी सिंह कर सहायक	18.02.1994	एर्णाकुलम मंडल	काक्कनाड मंडल
9.	सुनील कुमार, कार्यकारी सहायक	24.02.1993	चालक्कुडी मंडल	त्रिश्शूर मंडल

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[एस.सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति :

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आलुवा/, इडुक्की/ पेरुम्बावूर/ त्रिश्शूर/ चालक्कुडी मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
3. अधीक्षक((सिस्टम्स/हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt दिनांक:03.01.2022

आदेश सं.:1/2022

विषय : निजी सचिव के कैडर में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित आशुलिपिक को ऐसे भते, जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत हैं, सहित एवं 44,900-1,42,000 रुपये के वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 7 में निजी सचिव के संवर्ग में पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1	जगदीश पिल्लै	6501	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक **07.01.2022** को या उसके बाद तथा कम से कम दिनांक **14.01.2022** तक कार्यभार ग्रहण करना चाहिए अन्यथा इस आदेश को रद्द माना जाएगा | इनकार, यदि कोई हो, तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए |

उन्हें पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का.ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प दें । एक बार प्रयोग करने के बाद विकल्प अंतिम होगा |

3 अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **20.01. .2022** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र |
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम |

प्रति :

1. अधीक्षक(सत.सिस्टम्स/मु.),हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम ।
3. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. तिरुवनंतपुरम |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

NATION TAX MARKET

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

प.सं.I/22/6/2020 दिनांक: 11.01.2022

परिपत्र

देश में कोविड -19 (ओमीक्रॉन वेरिएंट) के सकारात्मक मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, देश में हमारे कई अधिकारियों के सकारात्मक मामलों का परीक्षण करने की हाल की घटनाओं और हमारे कई अधिकारियों के मुख्यालय कार्यालय में पोस्टिव परीक्षण की हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं | सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ऐसा न करने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी सतर्कता कार्रवाई शुरू की जाएगी।

1. कार्यालय में उपस्थित होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग करना और साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना शामिल है।
2. अन्य अनुभागों में /वरिष्ठ अधिकारियों /सहकर्मियों के पास अनावश्यक रूप से नहीं जाना चाहिए और इस तरह की सभी बातचीत केवल फोन पर की जानी चाहिए।
3. कोविड -19 (सर्दी, खांसी, बुखार, आदि) के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति या जो लोग कोविड -19 पॉजिटिव हो गए किसी भी व्यक्ति के साथ कोई प्राथमिक संपर्क रखते थे, उनसे कार्यालय से दूर रहने और इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के संगरोध / टेस्टिंग दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।
4. अंतरराज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद कार्यालय आने वाले किसी भी व्यक्ति से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा जारी संगरोध के नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन करें।

5 भले ही आपके अपने डेस्क/अनुभाग में अकेले हों, सभी से हर समय फेस मास्क पहनने का

अनुरोध किया जाता है क्योंकि नया वेरिएंट सांस की बूंदों के माध्यम से बहुत तेजी से फैलता है।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

सभी अधिकारी /कर्मचारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि, मुख्य आयुक्त कार्यालय, कोच्चि / केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि,आयुक्त (अपील)कोच्चि

प्रति प्रस्तुत है : केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
प्रति : आयुक्त , केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (लेखा परीक्षा)/(अपील)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

1 NATION TAX MARKET

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/33/2021-Estt. दिनांक: 22.03.2022

परिपत्र

विषय : अधीक्षक संवर्ग में 4 वर्ष के बाद PB-II में रु.5400/- का ग्रेड पे अनुदान।

यह सूचित किया जाता है कि अधीक्षक संवर्ग में 4 वर्ष की सेवा के बाद पीबी-II में 5400/- रुपये के ग्रेड वेतन के अनुदान के लिए, अपर/संयुक्त आयुक्त (का.व सत.), कार्यालय के प्रमुख होने के नाते, एनएफयू के अनुदान के लिए संबंधित अधिकारी के वेतन निर्धारण विवरण के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है |

अतः प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), मुख्यालय, कोच्चि के प्रभाराधीन अधीक्षक संवर्ग में चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर किसी भी अधिकारी को पीबी-II में 5400/- रुपये के ग्रेड पे के अनुदान का अनुमोदन सीधे अपर/संयुक्त आयुक्त (का.व सत.) से प्राप्त किया जा सकता है।कोच्चि आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों में कार्यरत अधिकारियों के मामले में, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ) का प्रभार धारण करने वाले अधिकारियों को स्थापना अनुभाग, मुख्यालय, कोच्चि के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश एतद्द्वारा दिया जाता है।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1 संयुक्त आयुक्त (का. व सत.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय
2 कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के सहायक /उप आयुक्त
3 प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), मु.कोच्चि
4 कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)
5 अधीक्षक (सिस्टम्स), आयुक्तालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/1/2020-ESTT(Part-I) दिनांक: 17.02.2022

स्थापना परिपत्र : 07/2022

सीबीआईसी, नई दिल्ली से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.DIC/POL/WCO/8/2022-POL/O/OPr.Commr/DIC-DELHI दिनांक 11.02.2022	विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ), ब्रसेल्स में अनुपालन और सुविधा निदेशालय (अनुपालन / प्रवर्तन) में तकनीकी अताशे जोखिम प्रबंधन और खुफिया कार्यक्रम (ग्रेड ए 3) की रिक्ति।

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है | परिपत्र को आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए |

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी समूह 'क' अधिकारी
2. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
3. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

प्रति

अपर आयुक्त (मु.आ.का.), मु.कोच्चि सूचना हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/1/2020-ESTT(Part-I) दिनांक: 17.02.2022

स्थापना परिपत्र : 06/2022

सीबीआईसी, नई दिल्ली से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.DIC/POL/WCO/7/2022-POL/O/OPr.Commr/DIC-DELHI दिनांक 11.02.2022	तकनीकी अताशे राजस्व कार्यक्रम (ग्रेड ए 3) की रिक्ति - विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ), ब्रसेल्स में अनुपालन और सुविधा निदेशालय (अनुपालन / प्रवर्तन) में उत्पाद शुल्क ।

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है | परिपत्र को आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए |

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी समूह 'क' अधिकारी
2. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
3. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

प्रति

अपर आयुक्त (मु.आ.का.), मु.कोच्चि सूचना हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/1/2020-ESTT(Part-I) दिनांक: 17.02.2022

स्थापना परिपत्र : 05/2022

सीबीआईसी, नई दिल्ली से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.DIC/POL/WCO/6/2022-POL/O/OPr.Commr/DIC-DELHI दिनांक 11.02.2022	तकनीकी अताशे राजस्व कार्यक्रम (ग्रेड ए 3) की रिक्ति - विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ), ब्रसेल्स में अनुपालन और सुविधा निदेशालय (अनुपालन / प्रवर्तन) में वाणिज्यिक धोखाधड़ी।

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है | परिपत्र को आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए |

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी समूह 'क' अधिकारी
2. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
3. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

प्रति

अपर आयुक्त (मु.आ.का.), मु.कोच्चि सूचना हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/1/2020-ESTT दिनांक: 15.02.2022

स्थापना परिपत्र : 04/2022

सीबीईसी, नई दिल्ली से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.DIC/Pol/WCO/4/2022-Pol/O/oPr.Commr/DIC/Delhi दिनांक 07.02.2022	अनुपालन और सुविधा निदेशालय, ब्रसेल्स में तकनीकी अधिकारी अनुपालन/प्रवर्तन-सुरक्षा के पद के लिए रिक्ति।

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है | परिपत्र को आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए |

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी समूह 'क' अधिकारी
2. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
3. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

प्रति

अपर आयुक्त (मु.आ.का.), मु.कोच्चि सूचना हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/1/2020-ESTT दिनांक: 15.02.2022

स्थापना परिपत्र : 03/2022

सीबीईसी, नई दिल्ली से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.DIC/Pol/WCO/3/2022-PoL/O/oPr.Commr/DIC/Delhi दिनांक 07.02.2022	अनुपालन और सुविधा निदेशालय, डब्ल्यूसीओ-ब्रसेल्स में तकनीकी अधिकारी अनुपालन/प्रवर्तन - कंटेनर नियंत्रण कार्यक्रम (सीसीपी) समन्वयक के पद के लिए रिक्ति।

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है | परिपत्र को आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए |

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी समूह 'क' अधिकारी
2. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
3. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/10/2020-ESTT दिनांक: 01.02.2022

परिपत्र

विषय : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय - केंद्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति - के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.01.2022 और डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/2014-Estt.A-III दिनांक 31.01.2022 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

डीओपीटी के दिनांक 31.01.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह कहा गया है कि इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.01.2022 के द्वारा जारी निर्देश दिनांक 15.01.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेंगे।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1 केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी अपर /संयुक्त
2 कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के सहायक /उप आयुक्त
3 मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख
4 अधीक्षक (ई डी पी), आयुक्तालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/1/2020-ESTT

दिनांक: 21.01.2022

स्थापना परिपत्र : 1/2022

डीजीएचआरडी, नई दिल्ली से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.HRM-II/PCM/(1)/CIR/2/2021-PLC-%ADG-HRM-II-DELHI दिनांक 28.12.2021	कोविड-19 जैसी महामारी के कारण अधिकारी/कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण कोष से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों का परिशिष्ट

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है |

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी समूह 'क' अधिकारी
2. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
3. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

I/517( )2

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No.II/(3)/APPT/25/2020 Estt. **Dated: 07.03.2022**

CORRIGENDUM TO ORDER No. 45/2021

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise - reg.

In partial modification to Order No. 45/2021 dated 28.06.2021, the entry in the column "Date of Birth" against the following officer may be read as given below.

Sl. No	Name of Officer S/Shri.	Date of Birth
1.	Visakh D.	23.11.1983

Signed by Padmanaban Senthil Kumar
Date: 07-03-2022 16:47:27
[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner
(P&V)

To:

The Individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

26/04/2022

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise (Audit), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise (Appeals), Kochi.**
5. **The Additional Director General, DRI, Kochi.**
6. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram / Kozhikode/ CCP/ Audit, Kochi.**
7. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Kozhikode / Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
8. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/547413/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt **Date: 30.03.2022**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 38/2022

Sub: Appointment to the cadre ofTax Assistant – Reg

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 01.10.2021, **Shri. Noel Geo Benoy,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter File No.A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 is appointed as Tax Assistant in Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **30.03.2022 (F.N).**

2. **Shri. Noel Geo Benoy** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Noel Geo Benoy** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to

SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by Padmanaban Senthil Kumar
Date: 31-03-2022 11:13:58

[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Noel Geo Benoy
Pulickal House,
Veroor P.O.,Vadakkekara,
Changanacherry, Kottayam,
Kerala-686104.

Copy submitted to:

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. **The Superintendent, Headquarters/Vigilance Sections, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

I/546435/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT. **Date: .03.2022**

ORDER No. 37/2022

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Excise & Customs - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Employee Code	Name (S/ Shri/ Smt.)	Date of Birth	Remarks
1.	8445	Sreejith V.	01.08.1982	on ad-hoc basis
2.	68	Kumari Geetha V.	01.05.1967	on ad-hoc basis
3.	8502	Stalin J.	25.05.1966	on ad-hoc basis (in officiating capacity)

2. The promotion order issued is subject to the condition that officers mentioned above should assume the higher post on or after 01.04.2022 and latest by 08.04.2022. Specific posting orders to the officers will be issued in due course.
3. The officer at Sl. No. 3 is promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until his junior is promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officer will be considered to be in officiating capacity.
4. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the

26/04/2022

I/546435/2022

Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No. 998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by 13.04.2022.
6. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 30-03-2022 15:59:32

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:
The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner, Appeals, Kochi.**
6. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
7. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi.**
8. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., CCP.**
9. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/545373/2022

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in **Fax: 0484-2390608** **Phone: 0484-2390404**

GEXCOM/II/(39)/15/2022-ESTT. **Date: 28.03.2022**

ORDER No. 36/2022

Sub: Voluntary retirement from service in respect Smt. Anjali Sudershan, Inspector, Audit Commissionerate - reg.

In terms of the provisions of Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972, the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Smt. Anjali Sudershan, Inspector, Audit Commissionerate to retire voluntarily from Government Service with effect from **31.03.2022 A.N** subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to her representation dated 31.12.2021.

2. All dues in respect of Smt. Anjali Sudershan, Inspector pending if any, may be recovered from her retirement benefits as per rules.

Signed by Padmanaban Senthil Kumar
Date: 30-03-2022 10:31:44

(P. Senthil Kumar)
Joint Commissioner (P&V)

To:

Smt. Anjali Sudershan,
Inspector, **(Through the Supervisory Officer concerned)**
Audit Commissionerate.

done 26/04/2022

I/542515/2022

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in **Fax: 0484-2390608** **Phone: 0484-2390404**

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. **Date: 25.03.2022**

ESTABLISHMENT ORDER NO.35/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Jiten Mali**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **14.03.2022 (F.N).**

2. **Shri. Jiten Mali** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Jiten Mali** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 28-03-2022 14:38:26

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SHRI. JITEN MALI
VILL-GOLMA GAON, WARD NO. 2, DIST-UDALGURI, ASSAM – 784509.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/542517/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2020-Estt **Dated: 22.03.2022**

ORDER NO. 34/2022

Sub: Promotion to the cadre of Driver (Special Grade) – Reg

The following Driver (Grade-I) is hereby promoted to the cadre of Driver (Special Grade) in Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Employee Code	Present Commissionerate
1.	Shibu M. Joy	5016	Customs Preventive Commissionerate, Cochin.

2. The officer should join the promoted post on or after **01.04.2022** and latest by **11.04.2022** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **18.04.2022**.

4. Hindi version follows.

26/04/2022.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 28-03-2022 14:39:35

[Maneesh Kumar]
Commissioner

I/542517/2022

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems/Headquarters)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), CCP Headquarters, Cochin.**

I/534299/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt **Date: 21.03.2022**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 33/2022

Sub: Appointment to the cadre of Tax Assistant – Reg

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 01.10.2021, **Shri. Vatsal Meena,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **ST category** vide letter File No.A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 is appointed as Tax Assistant in Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **21.03.2022 (F.N).**

2. **Shri. Vatsal Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Vatsal Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the

done 26/04/2022

time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by Padmanaban Senthil Kumar
Date: 21-03-2022 13:24:01

[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Vatsal Meena
S/o R C Meena,
B-49, Anand Vihar,
Railway Colony, Jagatpura,
Jaipur, Rajasthan - 302017.

Copy submitted to:

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. **The Superintendent, Headquarters/Vigilance Sections, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

I/534302/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/54/2021-Estt **Date: 21.03.2022**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 32/2022

Sub: Appointment to the cadre ofTax Assistant – Reg

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 01.10.2021, **Ms. Jooli Meena,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **ST category** vide letter File No.A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 is appointed as Tax Assistant in Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **21.03.2022 (F.N).**

2. **Ms. Jooli Meena** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. Jooli Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect

of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by Padmanaban Senthil Kumar
Date: 21-03-2022 13:24:32

[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To

Ms. Jooli Meena
D/o Kewal Ram Meena,
10A, National Archives of India,
Jhallana Doongri, Jaipur,
Rajasthan - 302004.

Copy submitted to:

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. **The Superintendent, Headquarters/Vigilance Sections, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

i/528568/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/(39)/72/2021 Estt.

ORDER NO. 31/2022

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officer is hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date as mentioned against his name.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	Dsgn.	Date of the Screening Committee	Due date of financial upgradation	Recommended GP & pay band	Financial upgradation granted (1st/2nd or 3rd MACP)
1.	Shri A.G.Suresh	Supdt. (Retd.)	09.09.2015	02.12.2015	PB 3 – 5400	3rd

2. Financial upgradation granted to the officer is inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of the old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotion of the officer concerned. Further, it shall have no

relevance to the officer's inter-se seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officers on the ground that the junior officer has got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of **"Senior-Junior"** is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On the financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as upgradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial upgradation under MACPS.

4 . This issues with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

Signed by Padmanaban Senthil Kumar
Date: 15-03-2022 15:39:52

(P. Senthil Kumar)
Joint Commissioner (P&V)

To:

The Individual

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).**
2. **The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.**
3. **The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/ AO(DDO) Hqrs. Kochi.**
4. **Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.**
5. **Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.**
6. **The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/(39)/72/2021 Estt.

ORDER NO. 30/2022

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officers are hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date(s) as mentioned against their names.

Sl. No.	Name & Designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st / 2nd / 3rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay &pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sunil V.T, Supdt.	03.01.1968	3rd	01.09.2022	Level 10
2.	Subhash P.N, Supdt.	22.12.1972	3rd	01.09.2022	Level 10
3.	Sebastian D'silva, Supdt.	12.11.1962	3rd	01.09.2022	Level 10
4.	Manoj Kumar V,Supdt.	05.04.1971	3rd	11.03.2022	Level 10
5.	L.K. Harikrishnan,				PB-3 G.P-

done 25/04/2022

I/528555/2022

5.	Supdt. (expired on 16.09.2008)	05.06.1952	3rd	01.09.2008	6600/-
6.	Arun R, Inspector	21.12.1985	1st	27.10.2021	Level 8
7.	Baleshwar Kumar Jha, Inspr.	02.06.1979	1st	28.09.2022	Level 8
8.	Manju Krishnadas, Inspr.	13.12.1986	1st	03.09.2022	Level 8
9.	Ravi Kumar, Inspr.	28.05.1988	1st	03.09.2022	Level 8
10.	Amit Khatri, Inspr.	19.09.1986	1st	05.09.2022	Level 8
11.	Manoj Kumar Yadav, Inspr.	04.07.1982	1st	28.11.2021	Level 8
12.	Sudhir Dabas, Inspr.	26.05.1984	1st	31.08.2022	Level 8
13.	Vipin Yadav, Inspr.	02.10.1986	1st	30.08.2022	Level 8
14.	Kiran Sharma, Inspr.	26.08.1981	1st	03.09.2022	Level 8
15.	Naveen Kumar, Inspr.	04.10.1986	1st	31.10.2021	Level 8
16.	Abhijeet Singh, Inspr.	14.10.1987	1st	24.09.2022	Level 8
17.	Kapil Dev Surira, Inspr.	16.04.1983	1st	14.11.2021	Level 8
18.	Ashok Kumar, Inspr.	08.09.1980	1st	15.12.2021	Level 8
19.	Rajesh Kumar, Inspr.	31.12.1980	1st	28.10.2021	Level 8
20.	Jose Antony, H.Havaldar	15.04.1972	2nd	01.10.2011	Level 3
			3rd	01.10.2021	Level 4
	Sainudheen C.S.,	30.09.1965	3rd		

21.	H.Havaldar			19.02.2021	Level 4
22.	Surendran S, H.Havaldar	20.01.1964	3rd	17.02.2022	Level 4
23.	V.G. Sajan, H.Havaldar	10.10.1969	3rd	15.02.2022	Level 4
24.	Jayaprakash M, H.Havaldar	19.05.1968	3rd	06.07.2022	Level 4
25.	P.Dileepan, H.Havaldar	10.05.1969	3rd	06.07.2022	Level 4
26.	Radhamani V, H.Havaldar	30.05.1963	3rd	26.03.2022	Level 4
27.	T.V. Ramachandran, H.Havaldar	24.08.1963	3rd	17.02.2022	Level 4

2. Financial upgradation granted to these officers is inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiaries i.e., the financial benefits are granted with the retention of their old designations and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbents (officers) and shall not amount to actual functional promotions of the officers concerned. Further, it shall have no relevance to their inter-se seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officers on the ground that the junior officers have got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of **"Senior-Junior"** is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the

I/528555/2022

Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On their financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as upgradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial upgradation under MACPS.

4 . This issues with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

(P. Senthil Kumar)
Joint Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (through the Supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).**
2. **The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.**
3. **The Assistant/Deputy Commissioner, Ernakulam Division/Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy Division.**
4. **The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/ AO(DDO) Hqrs. Kochi.**
5. **Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.**
6. **Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.**
7. **The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.**

I/514[illegible]022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(25)/38/2020 Estt. **Dated: 04.03.2022**

ORDER NO. 29/2022

Sub: Voluntary retirement from service in respect of Shri. Dinesh Babu P., Superintendent - reg.

In terms of the provisions of Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972, the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Shri. Dinesh Babu P., Superintendent, to retire voluntarily from Government Service with effect from **31.03.2022 (A.N.)** subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation dated 24.12.2021.

2. All dues in respect of Shri. Dinesh Babu P., Superintendent pending if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

Signed by Padmanaban Senthil Kumar
Date: 04-03-2022 15:20:48
(P. Senthil Kumar)
Joint Commissioner (P&V)

To:

Shri. Dinesh Babu P.,
Superintendent of Central Tax & Central Excise,
Alathur Range,
(through the Supervisory officer concerned)

done 25/04/2022

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**

Copy to:

1. **Assistant Commissioner, Palakkad Division. –** ***He may obtain Non due certificate from AO (DDO)/ Central Excise Co-operative Society, at the time of relief on Voluntary Retirement.***
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs., Kozhikode Commissionerate.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Palakkad Division.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/505214/

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-ESTT **Date: 25.02.2022**

ORDER NO. 28/2022

Sub: Promotion to the cadre of Assistant Sub-Inspector (Weapons) - Reg.

The following Head Havaldar is hereby promoted as Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial level-3 (Rs.21,700-69,100) in the new pay matrix as per the recommendation of 7th CPC, plus allowance as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining.

Sl. No.	Name (Shri.)	Employee Code	Present Comm'te
1.	K. Muraleedharan	9598	Central Tax & Central Excise, Commission'te, Kozhikode

2. The Officer should join the promoted post latest by **07.03.2022**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training OMs dated 26.09.1981 and 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

25/04/2022

3. The compliance report by the Controlling Officers/officers concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 10.03.2022.

4. Hindi Version follows.

Signed by Padmanaban Senthil Kumar
Date: 25-02-2022 17:05:44

[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
6. **The Commissioner of Customs, Custom House, Cochin.**
7. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kozhikode/Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise Kozhikode /Kochi.**
3. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kozhikode /Kochi.**
4. **The Superintendent (System) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version**
6. **The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi**

I/50680

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT. **Date: 28.02.2022**

ORDER No. 27/2022

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Employee Code	Name (S/ Shri/ Smt.)	Date of Birth	Remarks
1.	9509	Nisha Jayarajan	08.03.1976	on ad-hoc basis
2.	9579	Azeeb Chennath	22.03.1980	on ad-hoc basis
3.	4004	Rajeev R.C.	23.04.1980	on ad-hoc basis
4.	9055	Sudheer Kumar K.	29.04.1972	on ad-hoc basis (in officiating capacity)

2. The promotion order issued is subject to the condition that officer mentioned at Sl. No. 1 can join immediately but the officers mentioned at Sl. No. 2 – 4 should assume the higher post on or after 01.03.2022 only and latest by 07.03.2022. Specific posting orders to the officers will be issued in due course.

3. The officer mentioned at Sl No. 4 is promoted to the grade of

done 25/02/2022

Superintendent in an officiating capacity until his junior is promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officer will be considered to be in officiating capacity.

4. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No. 998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by 14.03.2022.

6. Hindi version follows.

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner, Appeals, Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI, Kochi.**
7. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
8. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., CCP.**
10. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021 Estt. Dated: 17.02.2022

ORDER No. 26/2022

Sub: Transfer and Posting in the cadre of Superintendent - Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate-Reg

The following transfer and posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect:

Sl.No	Name (S./Shri./Smt.)	Staff code	From	To
1.	Priya K.M.	8461	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi	Adjudication Section, Hqrs., Kochi

2. Controlling Officer shall ensure that the officer is relieved from her previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

25/04/2022

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 17-02-2022 14:49:22
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Perumbavoor Division.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Perumbavoor Division.**
5. **Superintendent (Confl/Vig), Central Tax & Central Excise, Kochi**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **The General Secretary, AIASCT.**
8. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(25)/38/2020 Estt. **Dated: 11.02.2022**

ORDER NO. 25/2022

Sub: Voluntary retirement from service in respect of Shri. Renji William P., Superintendent - reg.

In terms of the provisions of Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972, the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Shri. Renji William P., Superintendent, to retire voluntarily from Government Service with effect from **28.02.2022 (A.N.)** subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation dated 29.11.2021.

2. All dues in respect of Shri. Renji William P., Superintendent pending if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

Digitally Signed by Anwar Ali T P
Date: 14-02-2022 12:58:43
Reason: Approved

(Anwar Ali T.P.)
Additional Commissioner (P&V)

25/04/2022.

To:

Shri. Renji William P.,

Superintendent of Central Tax & Central Excise,
Ottapalam Range,
(through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**

Copy to:

1. **Assistant Commissioner, Palakkad Division.** – ***He may obtain Non due certificate from AO (DDO)/ Central Excise Co-operative Society, at the time of relief on Voluntary Retirement.***
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs., Kozhikode Commissionerate.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Palakkad Division.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT. Date: 03.02.2022

ORDER No. 24/2022

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of Superintendent – Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone -reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	Employee Code	From	To
1.	Reena. M	9505	On Promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2.	Priya K.M	8461	On Promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. The transfer and posting of officers has been done keeping in mind the action plan formulised by Chief Commissioner's Office to achieve the targets fixed in the key areas identified under Project Saadhit.

3. The above officers should join their new place of posting latest by **11.02.2022.**

4. Controlling Officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

25/04/2022

5. No representation shall be entertained from any officer before joining in his/her new place of posting.

6. Report compliance on **15.02.2022**.

7. Hindi version follows.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 14-02-2022 10:29:26
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
3. **The Asstt. Commissioner, Perumbavoor Division, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Kozhikode/ Audit, Kochi.**
5. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Audit.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2022-ESTT Date .02.2022

ORDER NO. 23/2022

Sub:Transfer & Postings in the cadre of Head Havaldar of Central Tax and Central Excise - Reg.

The following transfer & postings in the cadre of Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri.)	Emp Code	Present place of posting	Posted To
1	Sabu P.B.	3173	Ernakulam Range-4, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi	Hqrs, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi
2	Joy P.V.	8365	Aluva Range, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi	Hqrs, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi
3	E.R. Rethimol	1180	Thodupuzha Range, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi	Hqrs, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi
4	V.P. Sajan	5009	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Hqrs, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi
5	Vinson V.P.	386	Irinjalakuda Range, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi	Hqrs, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi

above 24/04/2022

6	Sabu M.J.	3401	Chalakudy Division,Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi	Aluva Division, Central Tax and Central Excise Commissionerate Kochi

2. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by 25.02.2022.

3. Report compliance on 28.02.2022.

4. This is issued with the approval of competent authority.

5. Hindi Version follows.

Digitally Signed by S Suresh
Date: 10-02-2022 14:31:46
Reason: Approved

[S. Suresh]
Assistant Commissioner [P&V]

To
The Individuals (Through the supervisory officers concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
6. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
7. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin.**

4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020 Estt. **Dated: .02.2022**

ORDER NO. 22/2022

Sub: Promotion to the grade of Superintendent of Central Tax and Central Excise -reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted to the grade of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group `B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300-34,800 (PB-2) GP- Rs.4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming the charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Employee Code	Name (S/ Smt.)	D.O.B.	Remarks
1	9505	Reena M.	15.03.1972	On Ad-hoc basis
2	8461	Priya K.M.	17.03.1979	On Ad-hoc basis (in officiating capacity)

2. The officer mentioned at Sl No. 2 is promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until her junior is promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officer will be considered to be in officiating capacity.

3. The above officers should join the higher post immediately and not later than **10.02.2022.** Specific posting orders to the officers will be issued

done 24/04/2022

Generated from eOffice by VINOD MAKOL, TA(VM)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 22/04/2022 11:50 AM

in due course.

4. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No. 998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunal.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **15.02.2022**.

6. Hindi version follows.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 02-02-2022 17:41:03
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
5. **The Commissioner of Appeals, Kochi.**
6. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/ Audit, Kochi.**
7. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi/ Audit, Kochi.**
8. **The Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Audit.**
9. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
10. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

Generated from eOffice by VINOD MAKOL, TA(VM)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 22/04/2022 11:50 AM

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021 Estt. Dated: 19.01.2022

ORDER NO. 21/2022

Sub: Temporary posting of Officers – Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – reg.

Keeping in mind the action plan formulised by Chief Commissioner's Office to achieve the targets fixed in the key areas identified under Project Saadhit, the following transfer and posting of officers is ordered herewith. The postings are temporary and will be in effect till 31.03.2022.

Sl. No.	Name S/ Shri/ Smt.	Emp Code	From	To
1.	Jayasree P.	8482	Technical Section, Hqrs., Kochi	Adjudication Section, Hqrs., Kochi
2.	M.S. Desanandan	1014	Review Section, Hqrs., Kochi	Adjudication Section, Hqrs., Kochi (to assist Joint Commissioner, Adjudication)
3.	Swapna V M	8006	UoT to Tax Arrear Recovery	Tax Arrear Recovery Section, Hqrs., Kochi (with addl. Charge

done 24/01/2022

			Section, Hqrs., Kochi	of Technical Section, Hqrs., Kochi)

3. The above officers should join their new place of posting latest by 24.01.2022.

4. Controlling Officers shall ensure that the officers are relieved from their post only after proper relieving/handing over of charges so as to ensure smooth transition.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 19-01-2022 17:14:25
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise in charge of sections Technical/Review/Adjudication/Arrears in Hqrs., Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi.**
4. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/19/2021 Estt. Dated: 19.01.2022

ORDER NO. 21/2022

Sub: Temporary posting of Officers – Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – reg.

Keeping in mind the action plan formulised by Chief Commissioner's Office to achieve the targets fixed in the key areas identified under Project Saadhit, the following transfer and posting of officers is ordered herewith. The postings are temporary and will be in effect till 31.03.2022.

Sl. No.	Name S/ Shri/ Smt.	Emp Code	From	To
1.	Jayasree P.	8482	Technical Section, Hqrs., Kochi	Adjudication Section, Hqrs., Kochi
2.	M.S. Desanandan	1014	Review Section, Hqrs., Kochi	Adjudication Section, Hqrs., Kochi (to assist Joint Commissioner, Adjudication)
3.	Swapna V M	8006	UoT to Tax Arrear Recovery	Tax Arrear Recovery Section, Hqrs., Kochi (with addl. Charge

22/01/2022.

			Section, Hqrs., Kochi	of Technical Section, Hqrs., Kochi)

3. The above officers should join their new place of posting latest by 24.01.2022.

4. Controlling Officers shall ensure that the officers are relieved from their post only after proper relieving/handing over of charges so as to ensure smooth transition.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 19-01-2022 17:14:25
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise in charge of sections Technical/Review/Adjudication/Arrears in Hqrs., Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi.**
4. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt Date: 18.01.2022

ORDER NO. 20/2022

Sub: Work Allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg

In partial modification of Order No.73/2021 dated 30.09.2021 and subsequent corrigendum dated 01.10.2021, the following changes in the work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered:

2. Shri. P. Senthil Kumar, Joint Commissioner, is assigned the charge of Verification Cell which has been formed keeping in mind the action plan formulised by Chief Commissioner's Office to achieve the targets fixed in the key areas identified under Project Saadhit. Shri. S. Veeramuthu, Joint Commissioner is assigned the charge of DGARM. The supervision of Perumbavoor Division along with adjudication and all legacy work of the division is assigned to Shri. J. Harish, Joint Commissioner and the supervision of Chalakudy Division along with adjudication and all legacy work of the division is assigned to Shri. P. Senthil Kumar, Joint Commissioner.

done 21/01/2022

3. Accordingly, the revised work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link
1.	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner	Headquarters Preventive, Prosecution, Public Relations, Sports, GST Cell, Infrastructure Cell, Swachh Bharat, Sugamya Bharat; Supervision of Idukki Central Tax & Central Excise Division; Adjudication and all legacy work of this Division; Any other work assigned by the Commissioner.	P. Senthil Kumar, Joint Commissioner	J. Harish, Joint Commissioner
2.	S.Veeramuthu, Joint Commissioner	Audit, Arrears Recovery, Training, Right to Information Act (RTI), DGARM, Review, GST Seva Kendra; Any other work assigned by the Commissioner.	J. Harish, Joint Commissioner	P. Senthil Kumar, Joint Commissioner
3.	P. Senthil Kumar, Joint Commissioner	Establishment, Administration, Personnel, Sevottam, Bhavishya, Vigilance, Confidential, Official Language, Systems, Systems Manager, Accounts, CPGRAMS, Verification Cell; Supervision of Thrissur, Chalakudy and Kakkanad Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner	J. Harish, Joint Commissioner
4.	J. Harish, Joint Commissioner	Legal, CAT, Technical, Statistics, Parliament Questions, RFD, Adjudication Cell; Supervision of Aluva, Perumbavoor and Ernakulam Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	S.Veeramuthu, Joint Commissioner	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner

4. Hindi version follows.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 19-01-2022 10:52:20
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT. Date: 13.01.2022

ORDER No.19/2022

Sub: Transfer and Posting in the cadre of Inspector - Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

The following transfer and postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered:

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	Employee Code	From	To
1.	Bal Mukund	9431	On joining (UoT from CCP)	Anti-Evasion, Hqrs. Kochi
2.	Eudrik Pereira	8001	On joining (UoT from CCO-CCA)	Eloor Range
3.	Bhaskarnath	8465	Internal Audit, Hqrs. Kochi	Adjudication, Hqrs. Kochi
4.	Akhil S Nair		Ernakulam Range 2	Anti-Evasion, Hqrs. Kochi
5.	Adarsh K Das		RTI/ Training with additional charge of Legal, Hqrs. Kochi	Anti-Evasion, Hqrs. Kochi
6.	Midhun A		Kizhakkambalam Range	Systems Section, Hqrs. Kochi
7.	Sreejith V	8445	Anti-Evasion, Hqrs. Kochi	Ernakulam Range 2
8.	Neha Meena	9860	Ernakulam Range 5	Verification Cell, Hqrs. Kochi
9.	Jazeel M C		*CGLE 2018 - New recruit*	RTI/ Training Section, Hqrs. Kochi
10.	Rani Maria John		*CGLE 2018 - New recruit*	Legal Section, Hqrs. Kochi
11.	Ashin M		*CGLE 2018 - New*	Ernakulam Range 5

21/04/2022

			recruit	
12.	Sanjay Pradeep		*CGLE 2018 - New recruit*	Internal Audit, Hqrs. Kochi
13.	Sreedeep Menon V P		*CGLE 2018 - New recruit*	Ernakulam Range 6
14.	Kiran S		*CGLE 2018 - New recruit*	Technical Section, Hqrs. Kochi
15.	Athul M Das		*CGLE 2018 - New recruit*	Ayyanthole Range
16.	Abhijith S		*CGLE 2018 - New recruit*	Kizhakkambalam Range
17.	Mohit		*CGLE 2018 - New recruit*	Kakkanad Division
18.	Naveen K		*CGLE 2018 - New recruit*	Kakkanad Range 2
19.	Priyanka Meena		*CGLE 2018 - New recruit*	Petroleum Products Range
20.	Sajith Mohan		*CGLE 2018 - New recruit*	Review Section, Hqrs. Kochi

2. The transfer and posting of officers has been done keeping in mind the action plan formulised by Chief Commissioner's Office to achieve the targets fixed in the key areas identified under Project Saadhit.

3. The above officers should join their new place of posting latest by **20.01.2022**.

4. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

6. Report compliance on **21.01.2022**.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 13-01-2022 16:03:30
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
8. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
9. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
10. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT. Date: 13.01.2022

ORDER No. 18/2022

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of Superintendent – Central Tax, Central Excise & Customs, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered:

Sl. No.	Name (S/ Shri/ Smt.)	Emp. Code	From	To
1	Nandakumar S.	3211	UOT from Customs (Preventive), Cochin	Kakkanad Division
2	Swapna V.M.	8006	UOT from Customs (Preventive), Cochin	Tax Arrear Recovery Section, Hqrs., Kochi
3	Senthilkumar M	3452	On Promotion (UOT to Kochi Commissionerate)	Ernakulam Range 6
4	Jincy M.P.	4568	On Promotion (UOT to Kochi Commissionerate)	Ernakulam Range 4
5	Vinaya C.R.	9501	On Promotion (UOT to Kochi Commissionerate)	Aluva Division
6	Megha R.	4038	On Promotion (UOT to Kochi Commissionerate)	Ernakulam Division
7	Sebastian D' Silva	4459	Tax Arrear Recovery Section, Hqrs., Kochi	Adjudication Section, Hqrs., Kochi
8	Ranjit Mathew	4454	Angamaly Range	Chalakudy Division
9	Raja Tomy	966	Aluva Division	Angamaly Range
10	Prabodh S.	4037	Ernakulam Range 4	Verification Cell, Hqrs., Kochi

2. The transfer and posting of officers has been done keeping in mind the action

plan formulised by Chief Commissioner's Office to achieve the targets fixed in the key areas identified under Project Saadhit.

3. The above officers should join their new place of posting latest by **20.01.2022**.
4. Controlling Officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
5. No representation shall be entertained from any officer before joining in his/her new place of posting.
6. Report compliance on **21.01.2022**.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 13-01-2022 16:27:28
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, ThiruvananthapuramZone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise Kochi Commissionerate.**
7. **The Dy./Asstt. Commissioner of Central Tax & Central Excise incharge of Sections in Hqrs., Kochi.**
8. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
10. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading inwebsite.**

12. The General Secretary, AIASCT, Kerala Circle
13. Hindi Cell – for Hindi Version

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.17/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Vulluri Santhosh Kumar**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **31.12.2021 (F.N).**

2. **Shri. Vulluri Santhosh Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Vulluri Santhosh Kumar** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is

20/01/2022

false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. VULLURI SANTHOSH KUMAR DA-174 BURMA CAMP, KOTHAGUDEM, BHADRADRI KOTHAGUDEM, TELENGANA – 507101.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.16/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Vishnu Asokan**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **29.12.2021 (A.N).**

2. **Shri. Vishnu Asokan** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Vishnu Asokan** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

done 20/01/22

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. VISHNU ASOKAN
VISHNU VIHAR, IRINCHAYAM P.O, NEDUMANGAD, THIRUVANANTHAPURAM, KERALA – 695561.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.15/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Hari Singh Meena**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **29.12.2021 (F.N).**

2. **Shri. Hari Singh Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Hari Singh Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

done 20/01/2022

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. HARI SINGH MEENA
VILL-GORDHANPURA, BARODA POST, TH-SAPOTRA, KARAULI, RAJASTHAN – 322203.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.14/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Priyanka Meena**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **21.12.2021 (F.N).**

2. **Shri. Priyanka Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Priyanka Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

20/01/2022

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. PRIYANKA MEENA
13 TILAK NAGAR, KHANDIYA NAKA KHANPUR ROAD, JHALAWAR, RAJASTHAN – 326001.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.13/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Bhuvnesh Kumar Meena**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.12.2021 (A.N).**

2. **Shri. Bhuvnesh Kumar Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Bhuvnesh Kumar Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 20/01/22

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is

false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SHRI. BHUVNESH KUMAR MEENA
C-126, MODEL TOWN, MALVIYA NAGAR, JAIPUR,
RAJASTHAN-302017.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.12/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Narendra Singh Meena**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.12.2021 (A.N).**

2. **Shri. Narendra Singh Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Narendra Singh Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is

20/01/2022

false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. NARENDRA SINGH MEENA
19 GULAB VIHAR, AGRA ROAD, NEAR RAJESH MOTORS, JAIPUR, RAJASTHAN – 302031.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.11/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Naveen K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **15.12.2021 (F.N).**

2. **Shri. Naveen K** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Naveen K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

20/04/2022

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. NAVEEN K
247-B, FATHIMA NAGAR, WORAIYUR, TIRUCHIRAPPALLY, TAMIL NADU – 620003.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.10/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Devendra Kumar**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **09.12.2021 (F.N).**

2. **Shri. Devendra Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Devendra Kumar** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. DEVENDRA KUMAR
INDRA COLONY, MANDAR,
SIROHI DIST.,
RAJASTHAN – 307513.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.09/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Prajith**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.12.2021 (F.N).**

2. **Shri. Prajith** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Prajith** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

20/04/2022

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. PRAJITH
KOCHUMURIYIL HOUSE, KAVIYOOR, THIRUVALLA, PATHANAMTHITTA, KERALA – 689582.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.08/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Vemu Naveen Nischal**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.12.2021 (F.N).**

2. **Shri. Vemu Naveen Nischal** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Vemu Naveen Nischal** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is

20/04/2022

false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. VEMU NAVEEN NISCHAL
House No. 7/120, SAROJINI STREET, NEAR YSR STATUE, MANUBOLU, K R PURAM, NELLORE, ANDHRA PRADESH – 524405.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT. Date: 11.01.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO.07/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. G Deepchand**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.12.2021 (F.N).**

2. **Shri. G Deepchand** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. G Deepchand** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

20/04/2022

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. G DEEPCHAND
19-12-328, BAIRAGIPATTEDA, THIRUPATHI, CHITTOOR DIST., ANDHRA PRADESH – 517501.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2020-ESTT Date: .01.2022

ORDER NO. 06/2022

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

In partial modification of Order No. 59/2021 dated 30.07.2021, the following transfer & posting in the cadre of Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (Shri.)	Emp. Code	Present Comm'te	Posted To
1	Valsan M.K., Head Havaldar	8331	UOT to ACC (UB), Trivandrum, Commissioner of Customs (Preventive), Kochi	Retained at Commissioner of Customs (Preventive), Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.
3. Hindi Version follows.

Digitally Signed by S Suresh
Date: 11-01-2022 14:40:54
Reason: Approved

[S. Suresh]
Assistant Commissioner(P&V)

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

done 20/01/2022

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.**
3. **The Deputy / Assistant Commissioner of Customs, ACC (UB), Trivandrum.**
4. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
7. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
8. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT. Date: 10.01.2022

ORDER No.05/2022

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone (Cadre Controlling Authority) has ordered the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	Employee Code	From	To
1.	Bal Mukund	9431	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2.	Shree Babu	4115	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
3.	Suman Godara	3715	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
4.	Rahees. N	2815	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
5.	Ashok Kumar. N	3180	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive),	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

done 19/1/2022

			Cochin	
6.	Raju K. V	9062	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
7.	Manish Kumar Khatana	4019	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
8.	Manoj Kumar Yadav	6019	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
9.	Kamal Kumar	1778	ACC (UB), Thiruvananthapuram, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
10.	Kavitha L	3	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
11.	Subha S Kumar	456	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
12.	Arun R	9006	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
13.	Siby A George	12	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
14.	Arunkumar A Vijayan	8463	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
15.	Killi Sandeep	4011	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
16.	Jayadeep C	8888	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
17.	Jinesh K	8233	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive),

				Cochin
18.	Rajeev Velluvakandy	6703	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
19.	Niveditha Jinadev	2616	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
20.	Ashwina Nair	9592	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
21.	Gautam Kumar	1775	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	ACC (UB), Thiruvananthapuram, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
22.	Parsen Kumar	9875	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
23.	Eudrik Pereira	8001	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
24.	Jithin Jose		*CGLE 2018 - New recruit*	CCO-CCA
25.	Puneet Chaudhary		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
26.	Sujin K		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
27.	Devendra Kumar		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
28.	Vemu Naveen Nischal		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
29.	Piyush Chauhan		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
30.	Jazeel M C		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
31.	Rani Maria John		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
32.	Ashin M		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
33.	Sanjay Pradeep		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

34.	Sreedeep Menon V P		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
35.	Kiran S		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
36.	Athul M Das		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
37.	Abhijith S		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
38.	Mohit		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
39.	Naveen K		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
40.	Priyanka Meena		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
41.	Sajith Mohan		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
42.	Mathews George C		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
43.	Rahul Sankar		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
44.	Shalmon Abraham		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
45.	Prajith		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
46.	G Deepchand		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
47.	Vulluri Santhosh Kumar		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
48.	Ashok Kumar Meena		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
49.	Bhuvnesh Kumar Meena		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
50.	Narendra Singh Meena		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
51.	Prasanth Kumar G		*CGLE 2018 - New recruit*	Commissionerate of Customs (Preventive),

				Cochin
52.	Vishnu Asokan		*CGLE 2018 - New recruit*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
53.	Visakh S		*CGLE 2018 - New recruit*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
54.	Biswajit Das		*CGLE 2018 - New recruit*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
55.	Hari Singh Meena		*CGLE 2018 - New recruit*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
56.	Harikrishnan		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
57.	Athyala Manoj Kumar		*CGLE 2018 - New recruit*	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

2. The officer at Sl.No.2 to be relieved from Airport, Thiruvananthapuram on 19.02.2022, and the officer at Sl.No.10 to join on 19.02.2022 at Airport, Thiruvananthapuram in lieu of Sl.No.2.

3. The officers posted to Airport are for a period of 2 (two) years and the officers posted to ACC (UB) are for a period of 1 (one) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

4. The above officers should join their new place of posting latest by **20.01.2022.**

5. In respect of officers posted to Audit, the controlling officers shall ensure that officer is clear from Vigilance angle before relieving the officers.

6. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

7. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

8. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
Commission for Scientific & Technical Terminology.

CSTT was set up on 1st October, 1961 in pursuance of a Presidential Order dated April 27, 1960 with the objective to evolve technical terminology in all Indian Languages. The

9. Report compliance by **21.01.2022**.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 11-01-2022 17:29:52
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI/NACIN Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **Date: 10.01.2022**

ORDER NO. 4/2022

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

In partial modification to Order No.98/2021 dated 18.11.2021, the following changes in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered:

2. Shri. Harrison Antony, Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi, will hold the charges which were held by Smt. Beena R., Assistant Commissioner. Further as per Office Order No.30/2021 (DGHRD/AC-DC/364/2021) dated 15.12.2021, issued by the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Shri. Deepak Kumar, Assistant Commissioner, has been allocated the charge of Central Tax and Central Excise, Thrissur Division.

3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link
1.	S. Suresh	Admn., P&V, Sevottam, Preventive, Headquarters, Prosecution & OLIC	C.T. Bindu	Shanthi V.

2.	Shanthi V.	Technical, Parliament Questions, GST Cell, DGARM, RFD, Statistics & Systems	Harrison Antony	C.T. Bindu
3.	Harrison Antony	Legal, RTI (CPIO), Training & Verification Cell*	S. Suresh	Dolly Joseph
4.	C.T. Bindu	Adjudication, Review, Arrear Recovery & SVLDRS	Dolly Joseph	Harrison Antony
5.	Dolly Joseph	Audit with additional charge of CAO	Harrison Antony	S. Suresh
6.	Anil Raj R.	Ernakulam Division	Mahendiravarmaa R.A.	Ajitha P.
7.	Mahendiravarmaa R.A.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Ajitha P.
8.	Ajitha P.	Aluva Division	Mahendiravarmaa R.A.	Anil Raj R.
9.	Maya Kurian	Chalakudy Division	Deepak Kumar	Roy Varghese
10.	Deepak Kumar	Thrissur Division	Maya Kurian	N.S. Jayasree
11.	N.S. Jayasree	Perumbavoor Division	Roy Varghese	Ajitha P.
12.	Roy Varghese	Idukki Division	N.S. Jayasree	Mahendiravarmaa R.A.

* Reports received from CCO/BIFA/ADVAIT Cell

4. Hindi version follows.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 11-01-2022 11:27:58
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

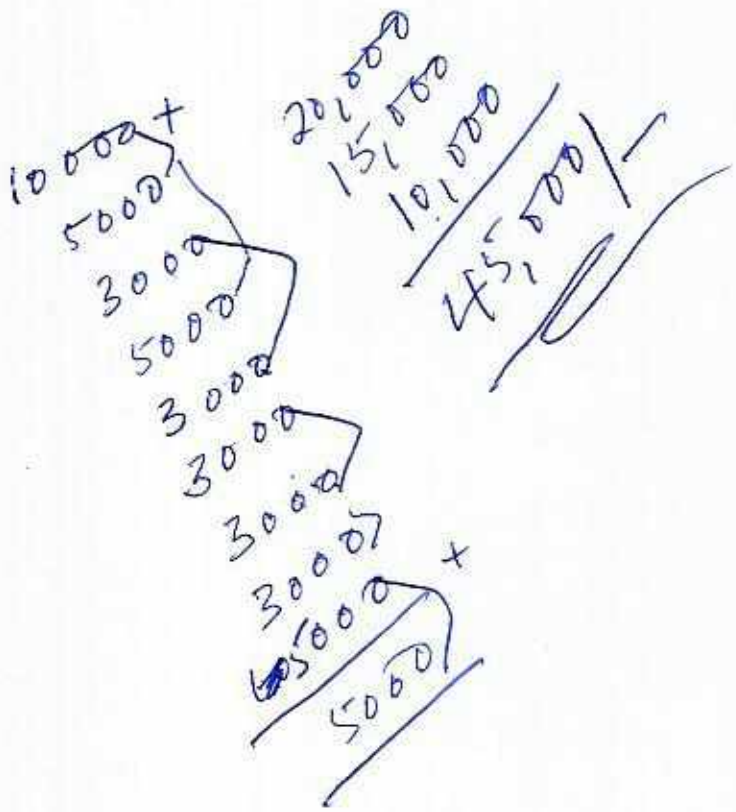
10000 +
5000
3000
5000
3000
30000
30000
30000
10000 +
5000
20,000
15,000
10,000
45,000/-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT. Date: 10.01.2022

ORDER No. 03/2022

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of Superintendent – Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone (Cadre Controlling Authority) has ordered the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise with immediate effect.

S.No.	Name (S/ Shri/ Smt.)	Emp. Code	From	To
1	Bindu K. Kattayamkott	484	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
2	Sreevidya Sudheer	6009	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
3	Haridasan P.K.	774	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
4	Sholy P.I.	216	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
5	Praveen P.V.	7510	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(UB Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
6	P. Muniappan	6624	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin

done 16/02/2022
17/21/22

7	Veena Dharmaraj	9541	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
8	Murali P.	9502	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
9	Gopiprasanth J.S.	4009	(Airport Trivandrum), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi (To assist Dr. Tiju T, Commissioner)
10	Sudheer K.	773	(Airport Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate
11	Prem Prakash Meena	2515	(Airport Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
12	Praney Kumar	3416	(Airport Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
13	Kailash Chand Dayama	4011	(Airport Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
14	Praveen M.	7510	(UB Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
15	Madhavan C.V.	8008	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
16	Sukumaran K.	6001	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
17	Nandakumar S.	3211	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
18	P.C. Chacko	918	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
19	Jyothilakshmi P.	9590	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
20	Meera P.	485	CCO-CCA (CPC)	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
21	Mini S.	19	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi	CCO-CCA (CPC)
22	Swapna V M	8006	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Kochi Commissionerate
23	Tessy Mathews	8201	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi (To assist Dr. Tiju T, Commissioner)
24	Senthilkumar M.	3452	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
25	Jincy M.P.	4568	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
26	Vinaya C.R.	9501	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
27	Megha R.	4038	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

28	Deepesh G.	4003	On Promotion	(Airport Trivandrum), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin. Retention till total tenure of 2 years is completed
29	Prakashan K.	9459	On Promotion	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin. Retention till total tenure of 2 years is completed
30	Jackson Joseph	3453	On Promotion	(Airport Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin

2. The officers posted to Airport are posted for a period of 2 (two) years without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies. The officers posted to UB are posted for a period of 1 (one) year.

3. The above officers should join their new place of posting latest by **20.01.2022.**

4. In respect of officers posted to Audit, the controlling officers shall ensure that officer is clear from Vigilance angle before relieving the officers.

5. Controlling Officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

6. All the representations received till date in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise stand disposed of.

7. No representation shall be entertained from any officer before joining in his/her new place of posting.

8. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

9. Report compliance by **21.01.2022.**

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 11-01-2022 17:28:49
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, ThiruvananthapuramZone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise,Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit,Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive),Cochin.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals,Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI/NACIN Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise/CPD/Audit Circle, Thiruvananthapuram Zone.**
8. **The Dy./Asstt. Commissioner of Customs, Airport Trivandrum/ Karipur/ Kannur/ ACC (UB) Trivandrum/ Karipur.**
9. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax &Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
11. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
12. **The Superintendent (Systems) – for uploading inwebsite.**
13. **The General Secretary, AIASCT, Kerala Circle**
14. **Hindi Cell – for Hindi Version**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/3/35/2021-Estt **Date: 07.01.2022**

ORDER NO. 2/2022

Sub: Transfer and postings in the cadres of Executive Assistant/ Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and postings in the cadres of Executive Assistant/Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Nikhil C. Babu, Tax Assistant	29.01.1994	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Aluva Division
2.	Vaishakh Viswanath, Tax Assistant	16.11.1995	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Idukki Division
3.	Denny George, Tax Assistant	16.03.1995	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Establishment Section, Hqrs Kochi
4.	Susmitha John, Tax Assistant	09.02.1995	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Idukki Division
5.	Geejomon P.J., Tax Assistant	23.11.1970	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Chalakudy Division

done 16/02/2022

6.	Pathayathil Satheesh Kumar, Tax Assistant	23.04.1977	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Chalakudy Division
7.	Eldho James, Tax Assistant	13.01.1993	Idukki Division	Perumbavoor Division
8.	Pranshi Singh, Tax Assistant	18.02.1994	Ernakulam Division	Kakkanad Division
9.	Sunil Kumar, Executive Assistant	24.02.1983	Chalakudy Division	Thrissur Division

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Digitally Signed by S Suresh
Date: 07-01-2022 21:14:08
Reason: Approved

[S. Suresh]
Assistant Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Aluva/Idukki/Perumbavoor/Thrissur/Chalakudy Divisions.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**

File No.GEXCOM/II/(3)/8/2020-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt **Date: 03.01.2022**

ORDER NO. 1/2022

Sub: Promotion to the cadre of Private Secretary - Reg

The following Stenographer Grade-I is hereby promoted to the cadre of Private Secretary in Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri.)	Employee Code	Present place of posting
1.	Jagadeesh Pillai	6501	Thiruvananthapuram Commissionerate

2. The officer should join the promoted post on or after **07.01.2022** and latest by **14.01.2022** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **20.01.2022**.

4. Hindi version follows.

done 19/04/2022

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 04-01-2022 18:14:26
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

File No.GEXCOM/II/(3)/8/2020-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi/Thiruvananthapuram.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, THIRUVANANTHAPURAM ZONE
सी. आर. भवन, आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682018
E-mail: cexcochi.@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

C.No. I/22/6/2020-PRO **Dated : 11.01.2021**

CIRCULAR

In view of the sudden increase in the number of Covid-19 (Omicron variant) positive cases in the country and recent incidents of many of our officers testing positive in the Hqrs Office, the following guidelines are issued. All officers and staff are requested to strictly adhere to the guidelines in this regard, failing which strict vigilance action will be initiated against the violators.

1. All officers/staff who attend office shall strictly follow COVID-19 appropriate behaviour including **strict and proper wearing of mask**, physical distancing, use of sanitiser and frequent hand washing with soap and water.
2. **No unnecessary visits to other sections/senior officers/colleagues should be made** and all such interactions should be made over phone only.
3. **Anyone with symptoms of Covid-19 (cold, cough, fever, etc.) or those who had any primary contact with any persons who turned Covid-19 positive are requested to stay away from office** and follow the quarantine/testing guidelines of State Health Authorities in this regard .
4. Anyone coming to office after interstate/international travel are also requested to follow the latest guidelines of quarantine issued by State Health Authorities in this regard.
5. **Even if alone at your on desk/section, all are requested to wear face mask all the time** as the new variant spreads much faster through respiratory droplets.

13/1/22

Maneesh Kumar
Commissioner

done 28/04/2022

To

All Officers/Staff of Central Tax and Central Excise, Kochi
Chief Commissioner's Office, Kochi / Central Tax and Central Excise (Audit), Kochi / Commissioner (Appeals) Kochi
Copy submitted to: Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone
Copy to
The Commissioner, Central Tax and Central Excise(Audit)/(Appeals)

I/540631/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/33/2021 Estt. Dated: 22.03.2022

CIRCULAR

8 of 2022.

Sub: Grant of Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-II after 4 years in Superintendent Cadre – reg.

It is hereby communicated that for grant of Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-II after 4 years of service in Superintendent Cadre, Additional/Joint Commissioner (P&V), being the Head of Office is nominated as the competent authority for approval of pay fixation statement of the officer concerned for grant of NFU.

Hence, the approval for Grant of Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-II to any officer on completion of four years of service in Superintendent Cadre under the charge of Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi can be directly obtained from Additional/Joint Commissioner (P&V). In case of officers working in Divisions under the jurisdiction of Kochi Commissionerate, the officers holding the charge of AO (DDO) are hereby directed to obtain the approval of the competent authority through Establishment Section, Hqrs., Kochi.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 25-03-2022 11:03:29

[Maneesh Kumar]
Commissioner

27/04/2022.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Joint Commissioner (P&V), Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Assistant/ Deputy Commissioners holding the charge of Ernakulam/ Kakkanad/ Perumbavoor/ Idukki/ Thrissur/ Chalakudy Divisions.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Ernakulam/ Kakkanad/ Perumbavoor/ Idukki/ Thrissur/ Chalakudy Divisions.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/1/2020-ESTT(Part I) **Date: .02.2022**

ESTABLISHMENT CIRCULAR NO. 07/2022

Attention is invited to the following letter received from the CBIC, New Delhi:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	**F.NO.**DIC/POL/WCO/8/2022-POL-O/O PR. COMMR./DIC/DELHI dated 11.02.2022	Vacancy of Technical Attache Risk Management and Intellignece Programme (Grade A3)- in the Compliance and Facilitaion Directorate (Compliance/Enforcement) at World Customs Organisation (WCO), Brussels

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate- www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Digitally Signed by S Suresh
Date: 17-02-2022 10:26:26
Reason: Approved

[S. Suresh]
Assistant Commissioner [P&V]

To

1. **All Group 'A' Officers in Kochi Commissionerate.**
2. **The Superintendent (Systems) for uploading in website.**
3. **Notice Board, Hqrs Kochi.**

Copy submitted to:

The Additional Commissioner (CCO), Hqrs, Kochi for information.

done 27/2/22

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/1/2020-ESTT (Part I) **Date: .02.2022**

ESTABLISHMENT CIRCULAR NO. 06/2022

Attention is invited to the following letter received from the CBIC, New Delhi:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	**F.NO.**DIC/POL/WCO/ 7/2022-POL-O/O PR. COMMR./DIC-DELHI dated 11.02.2022	Vacancy of Technical Attache Revenue Programme (Grade A3)- Excise in the Compliance and Facilitaion Directorate (Compliance/Enforcement) at World Customs Organisation (WCO), Brussels

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate- www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Digitally Signed by S Suresh
Date: 17-02-2022 10:31:23
Reason: Approved

[S. Suresh]
Assistant Commissioner [P&V]

To

1. **All Group 'A' Officers in Kochi Commissionerate.**
2. **The Superintendent (Systems) for uploading in website.**
3. **Notice Board, Hqrs Kochi.**

Copy submitted to:

The Additional Commissioner (CCO), Hqrs, Kochi for information.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/1/2020-ESTT (Part -I) Date: .02.2022

ESTABLISHMENT CIRCULAR NO. 05/2022

Attention is invited to the following letter received from the CBIC, New Delhi:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	F.NO.DIC/POL/WCO/6/2022-POL-O/O PR. COMMR.DIC-DELHI dated 11.02.2022	Vacancy of Technical Attache Revenue Programme (Grade A3)- Commericial Fraud in the Compliance and Facilitaion Directorate (Compliance/Enforcement) at World Customs Organisation (WCO), Brussels

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate- www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Digitally Signed by S Suresh
Date: 17-02-2022 10:32:12
Reason: Approved

[S. Suresh]
Assistant Commissioner [P&V]

To

1. **All Group 'A' Officers in Kochi Commissionerate.**
2. **The Superintendent (Systems) for uploading in website.**
3. **Notice Board, Hqrs Kochi.**

Copy submitted to:

The Additional Commissioner (CCO), Hqrs, Kochi for information.

done 27/04/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(7)/1/2020-ESTT **Date: .02.2022**

ESTABLISHMENT CIRCULAR NO. 04/2022

Attention is invited to the following letter received from the CBEC, New Delhi:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
2.	**F.No**. DIC/Pol/WCO/4/2022-PoL/O/oPr. Commr/DIC/Delhi dated 07.02.2022	Vacancy for the post of Technical Officer Compliance/Enforcement- Security in the Compliance and Facilitation Directorate, WCO - Brussels.

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate- www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Digitally Signed by S Suresh
Date: 15-02-2022 11:06:04
Reason: Approved

[S. Suresh]
Assistant Commissioner [P&V]

done 27/04/2022

To
1. **All Group A Officers in Kochi Commissionerate.**
2. **The Superintendent (Systems) for uploading in website.**
3. **Notice Board, Hqrs Kochi.**

Copy to:

The Additional Commissioner (CCO), Hqrs Kochi for information.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(7)/1/2020-ESTT **Date: .02.2022**

ESTABLISHMENT CIRCULAR NO. 03/2022

Attention is invited to the following letter received from the CBEC, New Delhi:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	**F.No**. DIC/Pol/WCO/3/2022-PoL/O/oPr. Commr/DIC/Delhi dated 07.02.2022	Vacancy for the post of Technical Officer Compliance/Enforcement- Container Control Programme (CCP) Coordinator in the Compliance and Facilitation Directorate, WCO - Brussels

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate- www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Digitally Signed by S Suresh
Date: 15-02-2022 11:05:12
Reason: Approved

[S. Suresh]
Assistant Commissioner [P&V]

To

1. **All Group A Officers in Kochi Commissionerate.**
2. **The Superintendent (Systems) for uploading in website.**
3. **Notice Board, Hqrs Kochi.**

Copy to:

The Additional Commissioner (CCO), Hqrs Kochi for information.

done 26/04/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/10/2020-ESTT. Date: 01.02.2022

CIRCULAR

-2 of 2022.

Sub: Preventive measures to contain the spread of Novel Corona virus (COVID-19) - Attendance of Central Government officials-regarding.

Attention is invited to this office Circular of even No. dated 10.01.2022 and the O.M F.No.11013/9/2014-Estt.A-III dated 31.01.2022 issued by the DoPT on the above subject.

In accordance with the DoPT O.M dated 31.01.2022, it is stated that the instructions issued vide this office Circular of even No. dated 10.01.2022 shall be in force till 15.01.2022, or till further orders, whichever is earlier.

Digitally Signed by Maneesh Kumar
Date: 02-02-2022 17:44:56
Reason:

(Maneesh Kumar)
Commissioner

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy To:

1. **All Additional/ Joint Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Assistant/Deputy Commissioner of all Divisions under Kochi Commissionerate – for necessary action.**
3. **All Section Heads in Headquarters, Kochi – for necessary action.**
4. **The Superintendent (EDP) for uploading in the Commissionerate website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/1/2020-Estt

Date: 21.01.2022

ESTABLISHMENT CIRCULAR NO. 1/2022

Attention is invited to the following letter received from DGHRD, New Delhi:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	F.No.HRM-II/PCM/(1)/CIR/2/2021-PLC-%ADG-HRM-II-DELHI dated 28.12.2021	Annual General Transfer for the year 2022 of IRS (C&IT) officers

Copy of the mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi commissionerate - www.cenexcisekochi.gov.in, for information.

[S. Suresh]
Assistant Commissioner [P&V]

done 26/01/2022

To.

1. **All Group A officers in Kochi commissionerate.**
2. **The Superintendent (Systems), Hqrs Kochi - for uploading on website.**
3. **Notice Board, Hqrs Kochi.**

Copy to:

1. **The Additional Commissioner (CCO), Hqrs Kochi - for information.**

Digitally Signed by S Suresh
Date: 21-01-2022 15:52:42
Reason: Approved